सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

रावतसर मास्टर प्लान

(2010—2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

आवास विकास लिमिटेड एवं याशी कन्सलटैंन्सी सर्विसेज प्रा0 लि0, जयपुर

नगर नियोजन विभाग
राजस्थान, सरकार

आभार

रावतसर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में रावतसर के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होनें अपना अमूल्य समय इस ऐतिहासिक नगरी के सुनियोजित विकास कार्यों में प्रदान किया है।

जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ एवं नगर पालिका, रावतसर का विशेष आभारी हूँ जिन्होनें मास्टर प्लान को तैयार करने में समय–समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया। याशी कन्सलटिंग सर्विसेज प्रा0 लि0 जयपुर द्वारा मास्टर प्लान तैयार करने में महत्ती भूमिका रही है, जिनका भी मैं आभारी हूँ।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्र करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जल प्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि भविष्य में भी इस नगर के मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी धन्यवाद के पात्र है।

(सुग्रीब सिंह)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
बीकानेर जोन,बीकानेर

योजना दल

1.	श्री जयबीर जाखड़	वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर, जोन, बीकानेर (नबम्बर 2011 तक)
2.	श्री सुग्रीब सिंह	वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर, जोन, बीकानेर (नबम्बर 2011 से)
3.	श्रीमती प्रीति गुप्ता	उप नगर नियोजक
4.	श्री पुनीत शर्मा	सहायक नगर नियोजक
5.	श्री गुरूदत्त शर्मा	सहायक अभियन्ता, बीकानेर
6.	श्री दलीप पूनिया	कनिष्ठ अभियन्ता, बीकानेर
7.	श्री रणवीर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता, बीकानेर
8.	श्री मूलेन्द्रसिंह चौहान	वरिष्ठ प्रारूपकार
9.	श्री मो0 सरवर उस्ता	अनुरेखक
10.	श्री अर्जुन नाथ सिद्ध	स्टेनोग्राफर

सलाहकार फर्मः मै0 याशी कन्सलटिंग सर्विसेज प्रा0 लि0

1.	श्री संजय गुप्ता	प्रबन्ध निदेशक
2.	श्री जयदीप खरब	नगर नियोजक
3.	सुश्री देबुलीना देवनाथ	नगर नियोजक
4.	श्री मनोज जैन	वरिष्ठ सिविल इन्जिनियर
5.	श्री महेश चौधरी	वरिष्ठ प्रारूपकार
6.	श्री दीपक झा	सहायक प्रारूपकार
7.	श्री लुकमान	सहायक प्रारूपकार
8.	श्री कुणाल अग्रवाल	वरिष्ठ लिपिक

विषय–सूची

अध्याय	क्रम संख्या	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
		आभार	ii
		योजना दल	iii
		विषय सूची	iv-vii
		तालिका–सूची	viii-ix
1		**परिचय**	**1–2**
2		**विद्यमान विशेषताएं**	**3–24**
	2.1	भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु	**3**
	2.2	क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	**4**
	2.3	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	**5**
	2.4	जनसांख्यिकी	**7**
	2.5	व्यवसायिक संरचना	**8**
	2.6	विद्यमान भू–उपयोग	**9**
	2.6.1	आवासीय	**10**
	2.6.1(अ)	आवासन	**11**
	2.6.1(ब)	कच्ची बस्तियॉ	**11**
	2.6.1(स)	शहरी नवीनीकरण	**12**
	2.6.2	वाणिज्यिक	**12**
	2.6.3	औद्योगिक	**13**
	2.6.4	राजकीय	**15**
	2.6.4(अ)	सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय	**15**
	2.6.5	आमोद–प्रमोद	**15**
	2.6.5(अ)	मेले एवं पर्यटन सुविधाएं	**16**
	2.6.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक	**16**

	2.6.6(अ)	शैक्षणिक	**16**
	2.6.6(ब)	चिकित्सा	**17**
	2.6.6(स)	सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल	**18**
	2.6.6(द)	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	**19**
	2.6.6(य)	जनोपयोगी सुविधाएं	**19**
	2.6.6(य)(i)	जलापूर्ति	**19**
	2.6.6(य)(ii)	मल–जल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	**20**
	2.6.6(य)(iii)	विद्युत आपूर्ति	**21**
	2.6.6(य)(iv)	श्मशान एवं कब्रस्तान	**21**
	2.6.7	परिसंचरण	**22**
	2.6.7(अ)	यातायात व्यवस्था	**22**
	2.6.7(ब)	बस तथा ट्रक टर्मिनल	**23**
	2.6.7(स)	रेल एवं हवाई सेवा	**24**
3		**नियोजन की संकल्पना**	**25–27**
	3.1	नियोजन की नीतियाँ	**25**
	3.2	नियोजन के सिद्धान्त	**26**
4		**भावी योजना का आकार**	**28–35**
	4.1	जनांकिकी	**29**
	4.2	व्यावसायिक संरचना	**30**
	4.3	नगरीय क्षेत्र	**31**
	4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	**32**
	4.5	योजना क्षेत्र	**32**
	4.5(अ)	उत्तरी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र	**33**
	4.5(ब)	दक्षिणी–पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	**34**
	4.5(स)	पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	**34**

	4.5(द)	परिधि नियंत्रण पट्टी परिक्षेत्र	**35**
5		**भू–उपयोग योजना**	**36–58**
	5.1	आवासीय	**37**
	5.1.1	आवासन	**38**
	5.1.2	अनौपचारिक सैक्टर हेतु योजना	**38**
	5.1.3	कच्ची बस्तियाँ	**38**
	5.2	वाणिज्यिक	**39**
	5.2(1)	केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र	**40**
	5.2(2)	थोक व्यापार एवं विशेष बाजार	**40**
	5.2(3)	भण्डारण एवं गोदाम	**40**
	5.2(4)	वाणिज्यिक केन्द्र	**41**
	5.3	औद्योगिक	**41**
	5.4	राजकीय	**43**
	5.4(1)	सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय	**43**
	5.5	आमोद–प्रमोद	**44**
	5.5(1)	उद्यान एवं खुले स्थल	**44**
	5.5(2)	स्टेडियम	**45**
	5.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक उपयोग	**45**
	5.6(1)	शैक्षणिक	**46**
	5.6(2)	चिकित्सा	**47**
	5.6(3)	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	**48**
	5.6(4)	जनोपयोगी सुविधाएं	**49**
	5.6(4)(अ)	जलापूर्ति	**50**
	5.6(4)(ब)	जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबंधन	**51**
	5.6(4)(स)	विद्युत आपूर्ति	**52**
	5.6(4)(द)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	**52**

	5.7	परिसंचरण	**52**
	5.7(1)	प्रस्तावित यातायात संरचना	**53**
	5.7(1)(अ)	सड़कों को चौडा करना एवं उनका सुधार	**55**
	5.7(1)(ब)	चौराहों का सुधार	**55**
	5.7(1)(स)	पार्किंग व्यवस्था	**55**
	5.7.2	बस अड्डा तथा यातायात नगर	**56**
	5.7.3	रेल एवं हवाई सेवा	**56**
	5.8	परिधि नियंत्रण पट्टी	**57**
	5.8(1)	ग्रामीण आबादी क्षेत्र	**57**
6		**योजना का क्रियान्वयन**	**58–62**
	6.1	वर्तमान आधार	**58**
	6.2	प्रस्तावित आधार	**59**
	6.3	जन सहयोग एवं जन सहभागिता	**60**
	6.4	भू–उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	**60**
	6.5	उपसंहार	**61**

परिशिष्टः–

1. **राजस्थान नगर सुधार अधिनियम – 1959 (मास्टर प्लान)** **62**
2. **राजस्थान नगर सुधार नियम – 1962 के उद्धरण** **64**

3 (i) **नगरिय क्षेत्र अधिसूचना दिनांक 16.07.2010** **66**

3(ii) **राजकीय अधिसूचना दिनांक 17.01.2012** **68**

तालिका –सूची

क्रम संख्या	तालिका का विवरण	पृष्ठ संख्या
1	जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति, रावतसर, (1971–2010)	**7**
2	व्यावसायिक संरचना, रावतसर, 1991–2001 एवं 2010	**8**
3	विद्यमान भू–उपयोग, रावतसर, 2010	**10**
4	कच्ची बस्ती, रावतसर, 2010	**12**
5	औद्योगिक इकाईयां, रावतसर–2010	**14**
6	सरकारी और अर्द्ध–सरकारी कार्यालय, रावतसर, 2010	**15**
7	शिक्षा सुविधाएं, रावतसर, 2010	**17**
8	चिकित्सा सुविधाएं, रावतसर, 2010	**18**
9	जलापूर्ति, रावतसर, 2010	**20**
10	विद्युत आपूर्ति, रावतसर, 2010	**21**
11	बसों/माल परिवहन का विवरण, रावतसर	**23**
12	जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति, रावतसर (1981–2031)	**30**
13	व्यावसायिक संरचना, रावतसर, 2031	**31**
14	योजना परिक्षेत्र, रावतसर –2031	**33**
15	प्रस्तावित भू–उपयोग, रावतसर, 2031	**37**
16	प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, रावतसर –2031	**40**
17	औद्योगिक गतिविधियों के भू–उपयोग का विवरण, रावतसर 2031	**42**
18	राजकीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग का विवरण, रावतसर 2031	**44**
19	आमोद–प्रमोद, रावतसर –2031	**45**
20	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं के भू–उपयोग का	**46**

	विवरण, रावतसर –2031	
21	शैक्षणिक संरचना, रावतसर –2031	**47**
22	चिकित्सा सुविधाओं के भू–उपयेाग का विवरण, रावतसर 2031	**48**
23	अन्य सामुदायिक सुविधाओ के भू–उपयोग का विवरण, रावतसर –2031	**49**
24	जनोपयोगी सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण, रावतसर 2031	**50**
25	परिसंचरण, रावतसर –2031	**53**
26	प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, रावतसर –2031	**54**
27	सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार, रावतसर –2031	**54**

1

परिचय

रावतसर नगर राजस्थान के उत्तर में जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से 38 किलोमीटर दूर जिले के दक्षिण दिशा में एवं सम्भागीय मुख्यालय बीकानेर से 200 किलोमीटर एवं राज्य की राजधानी जयपुर से 375 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से यह हनुमानगढ़ जिले का उप खण्ड मुख्यालय है। एवं यहाँ पर 'डी' श्रेणी की नगर पालिका स्थित है। जनगणना–2001 के अनुसार रावतसर हनुमानगढ़ जिले के 7 नगरों में से छठवें स्थान पर है।

यह नगर हनुमानगढ़ जिले के अन्य नगरों यथा संगरीया, टिब्बी, पीलीबंगा, नोहर एवं भादरा आदि से सड़क मार्ग द्वारा भली प्रकार से जुड़ा हुआ है। यह माध्य समुद्र तल से लगभग 180 मीटर की ऊँचाई पर बसा हुआ है तथा $29^{o}16'$ उत्तरी अक्षांश एवं $74^{o}24'$ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। इस नगर का नामकरण वर्ष 1592 में पल्लू के पास स्थित छोटी जागीर जैतपुर के राजपूत सरदार रावत राघवदास के नाम पर रखा गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रशासनिक कार्यालयों, संस्थाओं एवं कुछ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से रावतसर नगर का विकास हुआ है। रावतसर नगर के विकास के साथ–साथ जनसंख्या भी लगातार तीव्र गति से बढ़ने लगी। इसकी जनसंख्या वर्ष 1981 में 25,914 थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 28,387 हो गई। नगर के पुरानी आबादी वाले क्षेत्रों का घनत्व अधिक है व बाहरी क्षेत्रों में घनत्व कम है। नगर के विकास के साथ–साथ आवासीय मकानों की सघनता, तंग सड़कों पर बढ़ता हुआ निरन्तर यातायात, अनियोजित एवं मिश्रित वाणिज्यिक स्थल, सार्वजिनक, अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अभाव जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। नगर में हो रहे विकास एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ–साथ आधारभूत सुविधाएं एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है। नगर के गन्दे पानी की निकासी एवं जल प्रवाह क्षेत्र को नियोजित करना जरूरी है तथा आम जनता के लिये स्वस्थ वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से अव्यवस्थित विकास को रोकना जरूरी है।

वर्तमान समस्याओं के समाधान तथा नियोजित ढंग से विकास को बढ़ावा देने के लिए समुचित कदम उठाये जाने आवश्यक हैं। रावतसर के भावी विकास

के लिए एक दीर्घकालीन योजना (मास्टर प्लान) की आवश्यकता महसूस की गई।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के तहत दिनांक 16.07.2010 को अधिसूचना जारी कर 27 राजस्व ग्रामों/चकों को अधिसूचित करते हुए वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर को उक्त नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु निर्देशित किया है। नगर नियोजन विभाग द्वारा आवास विकास लि0 के माध्यम से मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु सलाहकार फर्म नियुक्त किया गया है। सलाहकार फर्म के माध्यम से रावतसर नगर का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण किया जाकर आवश्यक सांख्यिकी सूचनाओं का संकलन किया गया है। इन सूचनाओं का गहन विश्लेषण कर मानचित्रों और विस्तृत आलेखों को तैयार किया गया, जो इस मास्टर प्लान की तैयारी की आधारशिला बने एवं तदनुरूप रावतसर के मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया गया। यह योजना जन समुदाय की आगामी 20 वर्षों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर तैयार की गई है। इस योजना का क्षितिज वर्ष 2031 रखा गया है।

नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत है। इस मास्टर प्लान के सम्बन्ध में प्राप्त हुए प्रत्येक सुझाव एवं आपत्ति का विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है तथा समुचित सुझावों एवं आपत्तियों को समाहित कर मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया गया है।

(जयबीर जाखड़)
वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन,
बीकानेर

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक : प.10(117)नविवि/3/2010 दिनांक : 08.05.2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट 3 ii)

2.

विद्यमान विशेषताएं

एक नगर मानवीय गतिविधियों का मुख्य केन्द्र होता है, जो कि अपने आस–पास के क्षेत्र से विशिष्ट सम्बन्ध बनाये रखता है। इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप यह अपने स्वयं के कार्य–कलापों को उत्पन्न करता है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि आने वाले दशको में नगर के विकास को सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित करने हेतु नीति निर्धारण करने एवं प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व, क्षेत्र के सापेक्ष नगर की स्थिति, इसके योगदान तथा महत्व का अध्ययन किया जावे। साथ ही इसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व व्यवसायिक संरचना, भू–उपयोग तथा विकास प्रवृति एवं प्रगति का भी अध्ययन किया जाये, जिससे योजना मानवीय मानदण्डों के अनुरूप हो सके।

इन अध्ययनों से उन समस्त तत्वों का आकलन किया जा सकता है तथा उन तत्वों को पहचाना जा सकता है, जिनसे नगर का विकास प्रभावित हुआ है और जो भविष्य में भी नगरीय क्षेत्र को प्रभावित करते रहेंगे। इस अध्ययन में उन सभी तथ्यों एवं उनके प्रभावों का संक्षेप में उल्लेख है।

2.1 भौतिक स्वरूप एवं जलवायु

रावतसर राजस्थान के उत्तर में 29°16' उत्तरी अक्षांश एवं 74°24' पूर्वी देशान्तर पर माध्य समुद्र तल से लगभग 180 मीटर की ऊँचाई पर बसा हुआ है। नगर की स्थापना के 400 वर्षों पश्चात् भी यहाँ पर रेलवे सेवा का अभाव है। रावतसर राज्य राजमार्ग–7 एवं राज्य राजमार्ग संख्या–36 पर स्थित होने के कारण राज्य के अन्य नगरों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। यहाँ से राज्य एवं जिले के मुख्य नगर यथा हनुमानगढ़ 35 कि.मी., श्रीगंगानगर 161 कि.मी., सूरतगढ़ 69 कि.मी., बीकानेर 200 कि.मी. जयपुर 375 कि.मी. की दूरी पर सड़क मार्ग द्वारा जुड़े हुए है।

थार रेगिस्तान में बसा होने के कारण यहाँ की जलवायु लगभग सम्पूर्ण वर्ष गर्म और शुष्क रहती है। नगर के चारों ओर वर्तमान में इन्दिरा गाँधी कैनाल परियोजना से सिंचाई होने के कारण लगभग सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र हरा–भरा रहता है। राजस्थान के इस उत्तरी–पश्चिमी भाग में धूल भरी आंधियाँ आती हैं, जो कि इस भू–भाग की सामान्य विशेषता है। हवा की दिशाएं मुख्य रूप से अप्रेल से सितम्बर तक दक्षिण–पश्चिम से तथा अक्टूबर से मार्च तक उत्तर–पश्चिम और उत्तर–पूर्व की ओर से होती हैं। तापमान में अत्यधिक

उतार–चढ़ाव का मुख्य कारण यहाँ का मौसम गर्म और शुष्क रहता है। गर्मी के मौसम में माह मई व जून में यहाँ का औसतन न्यूनतम तापमान 18^{o} डिग्री सेण्टीग्रेड रहता है तथा अधिकतम तापमान 48^{o} डिग्री सेण्टीग्रेड तक पहुंच जाता है। शीत ऋतु माह दिसम्बर व जनवरी में यहाँ का औसत तापमान न्यूनतम 20^{o} डिग्री सेण्टीग्रेड के आस पास रहता है। यहाँ मानसून का आना अनिश्चित रहता है। वर्तमान दशक में यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 244 मिली मीटर है। वर्तमान में यहाँ पर वर्ष 2002 में न्यूनतम वर्षा 95 मिली मीटर एवं वर्ष 2007 में अधिकतम वर्षा 468 मिली मीटर रही है।

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

रावतसर, हनुमानगढ़ जिले के अन्तर्गत जिला उप–खण्ड मुख्यालय है। यह राजस्थान के उत्तर व जिला मुख्यालय के दक्षिण दिशा में स्थित है। इस नगर में लोगों द्वारा अधिकांश राजस्थानी भाषा बोली जाती है। इसके उत्तर में जिला मुख्यालय हनुमानगढ़, दक्षिण में जैतपुर, पश्चिम में पीलीबंगा एवं पूर्व में नोहर स्थित है। राज्य राजमार्ग–7 एवं 36 से यह नगर हनुमानगढ़, नोहर, भादरा, पीलीबंगा, संगरिया, बीकानेर से भलीभांति जुड़ा हुआ है। इस प्रकार क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में यह आस पास के नगरों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। यहाँ थार रेगिस्तान होने के बावजूद नहरों से सिंचाई होने से यह क्षेत्र हरा–भरा रहने लगा है। रावतसर 'डी' श्रेणी की एक महत्वपूर्ण कृषि मण्डी है। यहाँ से उत्पादन राज्य के अन्य जिलों एवं अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। मण्डी में प्रमुख सुविधाओं के अन्तर्गत राजस्थान वेयर हाउसिंग का स्टोरेज, नई एवं पुरानी धान मण्डी, लघु व मध्यम उद्योग के अन्तर्गत 3 कॉटन मिल्स स्थापित है। नगर की व्यवसायिक गतिविधियां एवं जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त नहीं है।

इस क्षेत्र में अधिकांशतः दोमट उपजाऊ मिट्टी है। सेम समस्या से क्षारीयपन आने के कारण मिट्टी का उपजाऊपन प्रभावित हो रहा है। यहाँ सरसों, गेहूँ मक्का, अरण्डी व चना आदि फसलों के अतिरिक्त बाजरी, मूंग, मोठ, कपास व मूंगफली आदि फसलों की उपज होती है। रावतसर तहसील में गंग कैनाल परियोजना से पानी मिलने से अच्छी पैदावार होती है।

रावतसर के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि पर आधारित है। यहाँ से गेहूँ धान, सरसों, कपास एवं खाद्य तेल आदि अन्य राज्यों में भेजा जाता है। यहाँ किसी प्रकार का वृहद उद्योग स्थापित नहीं है। यहाँ कॉटन आधारित मिल्स स्थित होने के कारण मौसमी आधार पर औद्योगिक इकाई संचालित की जाती है। इस इकाई में कपास से रूई व बिनौला को पृथक करने का कार्य किया जाता है।

2.3 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

रावतसर का ऐतिहासिक नाम चूहडसर था। बीकानेर रियासत की एक प्रमुख जागीर के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र हजारों वर्ष पूर्व सरस्वती नदी के कारण सरसब्ज रहा होगा। प्रागैतिहासिक कालीन अवशेषों में यह वर्णन मिलता है कि सरस्वती के किनारे ही वेदों की रचना हुई तथा उस समय यह क्षेत्र ऋषियों–मुनियों की तपोस्थली रहा है। देश के महान् पुरातत्व वेता डॉ. वांकणकर ने इस क्षेत्र में लम्बे समय तक शोध कर सरस्वती की धारा के क्षेत्र का पता लगाया और इस बात की पुष्टि की कि यहाँ से सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। बाद में यह नदी विलुप्त हो गई। मुगल काल में इस क्षेत्र में बरसाती नदी हाकड़ा द्वारा सिंचाई होती थी। यह हाकड़ा नदी कब विलुप्त हुई, इसका प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन 500 वर्ष पूर्व यहाँ हाकड़ा के पानी की उपलब्धता थी। निर्जन क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ के अधिकतर लोग पशु पालक थे। रावतसर की पुरानी पेयजल व्यवस्था की ढाब, चार कुएं और इस कस्बे के चारों तरफ के जोहड़ तालाब संकेत देते हैं कि पूर्व में इस क्षेत्र में लोग निवास करते थे।

रावतसर की ढाब के पास शिव मंदिर (बगीची) खेत्रपाल मंदिर (शिव के गण) के लगभग 12 कोस दूर उत्तर–दक्षिण में स्थित हनुमान एवं माँ भद्रकाली का मंदिर और पल्लू का माँ ब्रह्माणी का मंदिर यहाँ की काल गणना के मुख्य प्रतीक की तरह लगते हैं। शंहशाह अकबर के समय में इन देवालयों का उल्लेख मिलता है। रावतसर का राज घराना और उसकी विरासत से संबंधित तथ्यों मे जैतपुर के रावत राघवदास का नाम मशहूर है, जिन्होनें रावतसर क्षेत्र में बसने वाले सिहाग जाटों को हिसार के राणियाँ के नम्बरदार के जुल्मों से निजात दिलाने का कार्य किया एवं इसके पश्चात् सिहाग जाटों के सरदार नेताराम ने राघवदास के समक्ष समर्पण कर नए रावतसर की कल्पना को साकार किया। रावत राघवदास इस इलाके को अपने आधिपत्य में लेने के बाद बीकानेर के तत्कालीन महाराज रायसिंह के आदेशानुसार गुजरात चले गये। इस घटनाक्रम का सारयुक्त वर्णन यहाँ के खेत्रपाल मंदिर के बाहर लगे शिलालेख से मिलता है। इस पर लिखी लाइनों में है–''साता रूपया सेर दाना मिला ना दक्खन में रोटिया दीनी रैन रावत राघवदास थै। ''विक्रम सम्वत् 1592 की उक्त बात स्पष्ट करती है कि रावत राघवदास को अकबर के आदेश से गुजरात लड़ाई में मिली विजय के पश्चात् बीकानेर दरबार ने रावत की पदवी दी। इस संदर्भ में इस स्थान पर राघवदास के नाम पर रावतसर रखा गया। रावतसर राज घराने की शौर्यता, बुद्धिमता और जनता में सहानुभूति इस क्षेत्र की विरासत में नजर आती

है। यहाँ के लोग अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त थे, तभी उन्होनें इस क्षेत्र को समृद्ध किया। रावत राघवदास के 16 वारिसों ने इस जागीर का नेतृत्व किया। राघवदास सम्वत् 1642, जगतसिंह 1662, राजसिंह 1696, लखधीरसिंह 1714, चतरसिंह, 1776, आनन्द सिंह 1811, तेजसिंह 1823, हिम्मतसिंह 1833, विजयसिंह 1847, नाहरसिंह 1879, जोरावरसिंह 1929, रणजीतसिंह 1940, हुकमसिंह 1943, मानसिंह 1958, और अन्तिम जागीरदार तेजसिंह सम्वत् 1958 में ही यहाँ के जागीरदार बने।

रावतसर ठिकाने के ठाकुर लखवीरसिंह संभवतः औरंगजेब के शासन काल के गवाह रहे। उन्हें सिखों के गुरू गोबिन्द सिंह की साहवा यात्रा के दौरान सेवा का मौका मिला। उस समय रावतसर का कच्चा गढ़ खेत्रपाल मंदिर के पास होता था। उनके बाद जागीरदार बने विजयसिंह ने नए किले की नींव रखी। इस पर उन्होनें बाबा रामदेव मंदिर की स्थापना की। जोरावरसिंह के समय में 1857 का गदर हुआ। उनके बाद यहाँ जागीरदार रहे रणजीतसिंह को रावतसर का वर्तमान गढ़ बनाने का श्रेय है। वे बीकानेर के दीवान थे। उसी समय रावतसर में गढ़ बनाया गया। इस गढ का रणजीत बुर्ज कला का बेहतर नमुना है। उनकी इच्छा इस तरह के चार बुर्ज बनाने की थी, लेकिन उनके निधन के कारण अन्य बुर्ज नहीं बन पाये। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में तेजसिंह अन्तिम जागीरदार थे। तेजसिंह मैयो कॉलेज अजमेर में पढ़े। उनकी रानी लक्ष्मी कुमार चुंडावत संभवतः उस समय राज्य की सर्वाधिक पढ़ी–लिखी, साहित्य राजनीति, कला के क्षेत्र में सक्रिय महिला के रूप में जानी जाती रही। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पदम्श्री पुरस्कार सहित साहित्य के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत 95 वर्ष की आयु में आज की साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय है। उनके बड़े पुत्र घनश्याम सिंह विंग कमांडर रह चुके हैं जबकि बलभद्र सिह राठौड़ भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त है।

रावतसर राज घराने के बही भाटों की सनद् से मिली जानकारी के अनुसार रावतसर की स्थापना की प्रक्रिया लम्बे समय बाद हुई। रावत कांधल को रावतसर ठिकाने का वंशज रावत पदवी के आलेख मे बताया जाता है। रावतसर के वर्तमान गढ़ के निर्माण पर उस समय 18 हजार रूपये की राशि खर्च होने का उल्लेख मिलता है। लगभग 42 सालों के रावतसर के गौरवशाली इतिहास के पत्रों ने पूरे संभाग में अपनी अलग पहचान कायम की थी, जो आज भी है। यहाँ अपने अतीत के गौरव को रेखांकित करती, सुनने, देखने, समझने और जानने को प्रेरित करती है।

2.4 जनसांख्यिकी

जनसंख्या की दृष्टि से रावतसर नगर का जिले में छठवां स्थान है। प्रथम बार रावतसर को वर्ष 1981 की जनगणना में नगर को 'डी' श्रेणी में रखा गया । उस समय इसकी जनसंख्या मात्र 25,914 थी। जिसमें आने वाले दशकों में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1981 में रावतसर की जनसंख्या 25,914 थी। इसके बाद के दशकों में जनसंख्या लगातार बढ़ती हुई वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 28,387 व्यक्ति तक पहुंच गई। वर्ष 2010 में यहाँ की जनसंख्या 36,490 आंकी गयी है। रावतसर की उत्तरोत्तर वृद्धि का मुख्य कारण इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलना रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यहाँ सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों, धान मण्डी एवं औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होना भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण रहा है। रावतसर की जनसंख्या वृद्धि प्रवृति को तालिका–1 में दर्शाया गया है:–

तालिका 1

जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति, रावतसर (1981–2001)

वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	प्रतिशत
1981	25,914	–	–
1991	22,126	–3788	(–14.62)
2001	28,387	6261	28.30
2010*(अनुमानित जनसंख्या)	36,490	8103	28.54

स्त्रोत : भारतीय जनगणना व अनुमान

वर्ष 2001 में पुरूषों एवं महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत का अनुपात 53:47 था। यहाँ की साक्षरता दर 55.00 प्रतिशत है जो कि राज्य की औसत साक्षरता दर (61.03) प्रतिशत एवं राष्ट्रीय दर 59.5 प्रतिशत से कम है। पुरूषों में शिक्षा का अनुपात 65 प्रतिशत एवं स्त्रियों में यह 44 प्रतिशत है। जनगणना 2001 के अनुसार औसत पारिवारिक आकार 5.94 व्यक्ति है व लिंग अनुपात 895 था जो कि जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ (863) से अधिक व राज्य स्तर (922) व राष्ट्रीय स्तर (933) से कम है। रावतसर नगर पालिका क्षेत्र लगभग 1682 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें से वर्तमान में 1439 एकड़ क्षेत्रफल नगरीयकृत है एवं 1076 एकड़ क्षेत्रफल विकसित है। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार नगरीयकृत क्षेत्र का जन घनत्व 26 व्यक्ति प्रति एकड़ तथा विकसित क्षेत्र का जनघनत्व 34 व्यक्ति प्रति एकड़ आता है।

2.5 व्यावसायिक संरचना

रावतसर में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 26.10 प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्ष 2001 में 27.92 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 5777 व्यक्ति व वर्ष 2001 में 7927 व्यक्ति नगर में विभिन्न कार्यकलापो में कार्यरत थे। वर्ष 2001 में कुल कार्यशील व्यक्तियों में से 23.59 प्रतिशत प्राथमिक सेक्टर 14.19 प्रतिशत द्वितीय सेक्टर में तथा 62.22 प्रतिशत तृतीय सेक्टर में लगे हुए थे। रावतसर की व्यावसायिक संरचना को तालिका–2 में दर्शाया गया है। इस तालिका का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि इस कस्बे में कृषि पर आधारित व्यापार एवं वाणिज्यिक कार्यों में अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। इसका मुख्य कारण इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना से सिंचाई की सुविधाऐं रहा है।

तालिका–2

व्यावसायिक संरचना, रावतसर, 2031

क्र. सं.	व्यवसाय	1991		2001		2010(अनुमानित)*	
		व्यक्ति	कामगारों का प्रतिशत	व्यक्ति	कामगारों का प्रतिशत	व्यक्ति	कामगारों का प्रतिशत
1	काश्तकार, कृषि मजदूर, वानिकी इत्यादि	3071	53.16	1870	23.59	1234	10.91
2	उद्योग	718	12.43	990	12.49	1420	12.55
3	निर्माण	95	1.64	135	1.70	199	1.76
4	व्यापार एवं वाणिज्य	1036	17.93	1426	17.99	2043	18.06
5	परिवहन एवं संचार	142	2.46	200	2.52	293	2.59
6	अन्य सेवायें	715	12.38	3306	41.71	6123	54.13
	कुल	**5777**	**100.00**	**7927**	**100.00**	**11312**	**100.00**
	सहभागिता अनुपात	**26.10**		**27.92**		**31.00**	

स्त्रोत : भारतीय जनगणना 1991, 2001 एवं 2010* अनुमानित*

2.6 विद्यमान भू–उपयोग

वर्तमान में रावतसर नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत लगभग 1682 एकड़ भूमि आती है। वर्ष 2010 में लगभग 1439 एकड़ क्षेत्र नगरीयकृत है। नगर के कुल नगरीयकृत क्षेत्र में से 1076 एकड़ विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जो लगभग 74.77 प्रतिशत है। शेष क्षेत्र कृषि, रिक्त भूमि, जलाशय इत्यादि के अन्तर्गत आता है।

वर्तमान में राज्य राजमार्ग–7 नगर को दो भागों में विभाजित करता है। नगर का विकास राज्य राजमार्ग–7 के पश्चिम दिशा में अधिक हो रहा है। यह वृद्धि राज्य राजमार्ग–7 के पश्चिम एवं नगर के पूर्व से गुजरने वाले राज्य राजमार्ग–36 के दोनों तरफ अग्रसर है। नगर के पश्चिम दिशा मे नगर से 1.5 से 2 किमी की दूरी पर रेतिला टीबा स्थित है, जिसके कारण नगर के इस दिशा में विकास की संभावनाएं कम आंकी गई है।

विद्यमान भू–उपयोग की गणना के आधार पर नगर के कुल विकसित क्षेत्र का 55.3 प्रतिशत आवासीय, 5.48 प्रतिशत वाणिज्यिक एवं 0.93 प्रतिशत औद्योगिक, 1.21 प्रतिशत राजकीय, 0.28 प्रतिशत आमोद–प्रमोद, 14.68 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक एवं 22.12 प्रतिशत परिसंचरण के अन्तर्गत आता है। वाणिज्यिक गतिविधियां नगर में सड़कों के किनारे चल रही हैं, जहाँ पार्किंग की सुविधाऐं नहीं है। अधिकांश भागों में मिश्रित भू–उपयोग है। राज्य राजमार्ग–7 एवं 36 के आस–पास होटल, ढाबे एवं वाहनों की मरम्मत आदि का कार्य हो रहा है। पुरानी धान मण्डी के पास गोदाम एवं वेयर हाउसिंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियाँ नगर में ही केन्द्रित होकर रह गई है। इसी प्रकार नगर के राज्य राजमार्ग–7 के पूर्वी भाग में धान मण्डी, तहबाजारी व अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित होने के कारण नगर के इस भाग में यातायात का दवाब निरन्तर बना रहता है।

नगर से गुजर रहे राज्य राजमार्ग–7 के पूर्व दिशा में स्थित भाग में महत्वपूर्ण गतिविधियां केन्द्रित होकर रह गई है। नगर के इस भाग के वार्ड नं. 17 व 18 में तहबाजारी, रामलीला मैदान के अतिरिक्त धान मण्डी में उचित पार्किंग व्यवस्था नहीं होने एवं सड़कों की कम चौड़ाई उपलब्ध होने के कारण प्रतिदिन, यातायात की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नगर के समस्त राजकीय कार्यालय यथा उपखण्ड अधिकारी, तहसील, पंचायत, सिंचाई विभाग, महिला एवं बाल विकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बस स्टेण्ड, टैक्सी स्टैण्ड, मुन्सिफ कोर्ट, दूर संचार विभाग, चौधरी कॉटन फैक्ट्री इत्यादि राज्य राजमार्ग–7 पर ही स्थित है। इसी प्रकार नगर में राज्य राजमार्ग–7 के पश्चिमी भाग में विद्युत वितरण निगम, स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, सार्वजनिक

निर्माण विभाग, पुलिस थाना, इत्यादि स्थित हैं। उपर्युक्त समस्त कारणों से नगर में भारी यातायात दवाब के कारण धीरे–धीरे जनता का मानस नगर के बाह्य क्षेत्रों में बसने का बनता जा रहा है। रावतसर नगर के मध्य में नगर का सबसे पुराना तालाब (ढाब) स्थित है। नगर के दक्षिण एवं दक्षिण–पश्चिम क्षेत्र में तालाब स्थित है जिसमें नगर का गंदा पानी आकर एकत्रित होता है। नगर में अधिकतम श्मशान नगर के उत्तरी भाग में स्थित है।

उपर्युक्त समस्त उपयोगों के अन्तर्गत 1439 एकड़ क्षेत्र नगरीयकृत है, जिसमें से 1076 एकड़ विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। वर्ष 2010 में यहाँ की जनसंख्या का आकलन 36490 व्यक्ति किया गया है। इस प्रकार कुल नगरीयकृत क्षेत्र का जन घनत्व 26 व्यक्ति प्रति एकड़ है। रावतसर के विद्यमान भू–उपयोग 2010 को तालिका–3 में दर्शाया गया है।

तालिका–3

विद्यमान भू–उपयोग, रावतसर, 2010

क्र.सं.	भू – उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	595	55.30	41.35
2	वाणिज्यिक	59	5.48	4.10
3	औद्योगिक	10	0.93	0.69
4	राजकीय	13	1.21	0.90
5	आमोद–प्रमोद	3	0.28	0.21
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	158	14.68	10.98
7	परिसंचरण	238	22.12	16.54
	विकसित क्षेत्र	**1076**	**100**	**74.77**
9	कृषि	76	–	5.28
10	रिक्त भूमि	242	–	16.82
11	जलाशय	45	–	3.13
	नगरीयकृत क्षेत्र	**1439**	**–**	**100**

स्त्रोत – सलाहकार, सर्वेक्षण

2.6.1 आवासीय

रावतसर में विद्यमान भू–उपयोग के अनुसार 595 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ विकसित हो चुकी है। रावतसर का कुल नगरीयकृत क्षेत्र 1439 एकड़ है। कुल आवासीय जन घनत्व वर्ष 2010 में 61 व्यक्ति प्रति एकड़ है। नगर के

पुराने विकसित क्षेत्र में आबादी का औसत घनत्व लगभग 80 व्यक्ति प्रति एकड़ है एवम् बाहरी विकसित क्षेत्र का जन घनत्व 30 व्यक्ति प्रति एकड़ है। आवासीय क्षेत्र मुख्य रूप से नगरपालिका एवं मण्डी विकास समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत् विकसित किये गये है। रावतसर नगर में उच्च जन घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र वार्ड संख्या 2, 5, 9, 14, 17, एवं 19 हैं। नगर में सर्वाधिक जन घनत्व वार्ड नं. 19 में है।

राज्य राजमार्ग–7 नगर को दो भागों में विभाजित करता है। राज्य राजमार्ग के पश्चिम दिशा में स्थित भाग की आवासीय बसावट काफी सघन है एवं खुले क्षेत्रों का सर्वथा अभाव है। इस भाग में अनियोजित रूप से विकास होने के कारण सड़कों का रख–रखाव असन्तोषप्रद है। भवन एक दूसरे से सटे हुए हैं। रस्तें एवं गलियां अनियोजित रूप से मिलती है। इसके विपरीत राज्य राजमार्ग के पूर्व दिशा में स्थित भाग का विकास सुनियोजित रूप से होने के कारण इस भाग की सड़कें एक–दूसरे को समकोण पर काटती हैं एवं क्षेत्र का विकास नियोजन के सिद्धान्तों के अनुरूप संतोषजनक है।

2.6.1(अ) आवासन

भारतीय जनगणना 1991 के अनुसार रावतसर नगर में 3,692 परिवार 3,667 मकानों में निवास करते थे तथा वर्ष 2001 में 4,736 परिवार लगभग 4,300 मकानों में निवास करते थे। इससे प्रतीत होता है कि रावतसर में आवासों की उपलब्धता सन्तोषप्रद है।

2.6.1(ब) कच्ची बस्तियाँ

नगर में राजकीय भूमि पर कुछ कच्ची बस्तियाँ विकसित हो गई है। कच्ची बस्तियों में वर्तमान में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। तालिका–4 में रावतसर कच्ची बस्ती का विवरण दर्शाया गया है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि रावतसर में आधार वर्ष 2010 में अनुमानित जनसंख्या 36,490 में से लगभग 1,388 व्यक्ति अर्थात् अनुमानित जनसंख्या का लगभग 3.80 प्रतिशत कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे हैं।

तालिका – 4: कच्ची बस्ती, रावतसर, 2010

क्र.सं.	कच्ची बस्ती का नाम	वार्ड संख्या	जनसंख्या	परिवार
1	जोधावास कुम्हार मौहल्ला	02	581	124
2	ईन्ट भटटा के पास	03	365	84
3	चुंगी नाका नं.3	05	1897	415
4	दमामी मोहल्ला	07	134	26
5	मौची मोहल्ला	10	552	103
6	वार्ड 19	19	950	205
7	संजय बस्ती	20	326	70
8	संजय बस्ती	21	286	62
9	वार्ड 12	12	868	186
10	राजीव बस्ती	22	495	103
11	वार्ड 10	10	57	10
	योग		**6511**	**1388**

स्त्रोतः नगरपालिका, रावतसर

2.6.1(स) शहरी नवीनीकरण

अभी तक रावतसर में किसी भी क्षेत्र का पुनर्स्थापना, पुनर्विकास एवं नवीनीकरण का कार्यक्रम नहीं चलाया गया है, जो कि समय के साथ अति–आवश्यक है। भविष्य में नई योजनाएं बनाते समय कच्ची बस्तियों एवं पुराने क्षेत्रों का पुनर्विकास तथा नवीनीकरण किया जावेगा।

2.6.2 वाणिज्यिक

रावतसर कस्बे में वाणिज्यिक गतिविधियाँ के अन्तर्गत वर्तमान में नगर में कुल विकसित क्षेत्र में से लगभग 59 एकड़ भूमि को वाणिज्यिक उपयोग में लिया जा रहा है। रावतसर की बढ़ रही जनसंख्या के लिये मांग एवं भूमि की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण वाणिज्यिक क्षेत्रों में अतिक्रमण तेजी से बढ़ रहे है, जिससे इन क्षेत्रों में अतिक्रमण के भारी दबाव के कारण बाजार अव्यवस्थित होते जा रहे हैं।

रावतसर में सुनियोजित मार्केट काम्पलेक्स का अभाव है। रावतसर का मुख्य बाजार राज्य राजमार्ग–7 के पूर्वी दिशा में स्थित है। इसके अतिरिक्त नगर में भगत सिंह चौक के आस–पास वाले क्षेत्र में लगभग 100–150 दुकानें हैं।

नगर के राज्य राजमार्ग–7 के पश्चिम भाग की मुख्य सड़कों पर अधिकांश स्थानों पर अतिक्रमण हो चुका है एवं सड़कों के मार्गाधिकार में वाहन आदि खड़े रहते हैं। रावतसर में अधिकतम चौराहे सुनियोजित रूप से विकसित नहीं होने के कारण वाहनों के आवागमन में निरन्तर अवरोध उत्पन्न होता रहता है। नगर के पश्चिमी भाग में अन्दरूनी सड़कों से लगते हुए घरों के बाहर चबूतरों के रूप में भी अतिक्रमण किया हुआ है। राज्य राजमार्ग पर ढाबे, मोटर रिपेयर वर्कशॉप इत्यादि स्थित हैं। यहाँ सड़क के दोनों ओर दुकानें बनी हुई हैं। नगर के भीतरी व्यावसायिक क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है तथा यातायात व पार्किंग की सुविधाओं का अभाव है।

यहाँ होटल व्यवसाय के तहत् हनुमानगढ़ राज्य राजमार्ग–7 पर दो होटल स्थित हैं।

रावतसर में राज्य राजमार्ग–7 के पूर्वी दिशा में राज्य भण्डारण निगम के गोदाम, धानमण्डी, तहबाजारी में लोहा, लक्कड़, अनाज, सब्जी व कपास इत्यादि के अतिरिक्त अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित होने से यह भीड़–भाड़ वाला क्षेत्र हो गया है।

रावतसर मुख्य रूप से कृषि विपणन बाजार के रूप में विकसित हुआ है। व्यापारिक दृष्टिकोण से मण्डी जिला स्तर पर अपना प्रमुख स्थान रखती है। इस क्षेत्र की रबी की फसलों में मुख्य रूप से गेहूँ, मक्का, सरसों, अरण्डी, चना, जौ की पैदावार एवं खरीफ की फसलों में नरमा, कपास, बाजरा, मूंग मोठ एवं मुंगफली की पैदावार होती है। नगर में मुख्य रूप से गेहूँ, गन्ना, कपास, मूंग, मूंगफली इत्यादि फसलों का निर्यात होता है।

2.6.3 औद्योगिक

औद्योगिक दृष्टि से रावतसर काफी पिछड़ा हुआ है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वर्ष 1981 तक यहाँ छोटे–मोटे घरेलू उद्योगों के अलावा कुछ नहीं था। इन्दिरा गांधी नहर की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण, यहाँ कृषि आधारित उद्योग लगने लगे। वर्तमान में यहाँ पर तीन जिनिंग एण्ड प्रोसेसिंग फैक्ट्री मुख्य रूप से अंशकालीन मौसमी आधार पर संचालित होती है। इन

औद्योगिक इकाइयों में, कपास से रूई व बिनौले को पृथक करने का कार्य किया जाता है। इनमें कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग 16 हैं।

1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर कुल कार्यरत व्यक्तियों का 12.43 प्रतिशत औद्योगिक गतिविधियों में कार्यरत थे जो वर्ष 2001 में बढ़कर 12.49 प्रतिशत हो गये। वर्ष 2010 में कुल कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 1420 (12.55 प्रतिशत) तक पहुचँने का अनुमान है। रीको द्वारा इस क्षेत्र में राज्य राजमार्ग–36 पर 55.82 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र नियोजित किया गया था, परन्तु इस भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण इस क्षेत्र का विकास समुचित रूप से संभव नहीं हो पाया।

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योग विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नगर में अन्य औद्योगिक इकाइयां विद्यमान हैं। जिला उद्योग केन्द्र, हनुमानगढ़ से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 34 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां नगर में कार्यरत हैं तथा इनमें लगभग 204 कामगार लगे हुए हैं। नगर के विभिन्न मार्गों पर चर्म, खाद्य तेल, डेयरी उद्योग, लकड़ी, सीमेंट, कॉटन, मरम्मत एवं सेवा कार्य, लोहा इत्यादि पर आधारित औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं।

यहाँ किसी प्रकार का वृहद् उद्योग अथवा खनन क्षेत्र नहीं है। उद्योग विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर औद्योगिक इकाइयों का विवरण तालिका–5 में दर्शाया गया है।

तालिका – 5: औद्योगिक इकाइयां, रावतसर– 2010

क्रम संख्या	औद्योगिक इकाइयों के प्रकार	इकाइयों की संख्या	इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या
1	कृषि वन आधारित	01	28
2	वन उपज आधारित	01	02
3	पशुधन आधारित	01	03
4	खनिज आधारित	–	–
5	अभियांत्रिक आधारित	14	64
6	वस्त्र उद्योग आधारित	12	27
7	खाद्य आधारित	02	27
8	रसायन आधारित	01	18
8	अन्य	02	05
	योग	**34**	**204**

स्त्रोतः जिला उद्योग कार्यालय, हनुमानगढ़

2.6.4 राजकीय

2.6.4(अ) सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय

रावतसर में कुल 15 कार्यालय हैं इनमें 2 केन्द्र सरकार एवं 7 राज्य सरकार के एवं 6 अर्द्ध–सरकारी कार्यालय स्थित हैं। इनमें लगभग 269 कर्मचारी कार्य करते हैं। नगर में अधिकतम कार्यालय राज्य राजमार्ग–7 पर स्थित है। केन्द्र सरकार के 2 सरकारी कार्यालय वार्ड नं. 22 में राज्य राजमार्ग–7 पर स्थित हैं। राज्य सरकार के 7 सरकारी कार्यालयों में वार्ड नं. 22 में राज्य राजमार्ग–7 पर उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय तहसील, कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर कार्यालय, न्यौलखी मार्ग पर सिंचाई विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के कार्यालय स्थित है। राज्य सरकार के 6 अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों में वार्ड नं. 24 में राज्य राजमार्ग–7 पर विद्युत वितरण निगम, वार्ड नं. 22 में पंचायत समिति वार्ड नं. 18 में कृषि उप मण्डी समिति, क्रय–विक्रय सहकारी समिति, वार्ड नं. 17 में राजस्थान भण्डार निगम व वार्ड नं. 14 में नगरपालिका स्थित है। इन भवनों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। इन कार्यालयों के अन्तर्गत वर्तमान में 13 एकड़ भूमि उपयोग में आ रही है। सरकारी कार्यालयों की स्थिति को तालिका–6 में दर्शाया गया है:–

तालिका – 6

सरकारी और अर्द्ध–सरकारी कार्यालय, रावतसर–2010

क्र.सं.	कार्यालय का प्रकार	कार्यालयों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	केन्द्र सरकार कार्यालय	2	16
2	राज्य सरकार कार्यालय	7	103
3	अर्द्ध सरकारी कार्यालय	6	150
	योग	**15**	**269**

स्त्रोतः नगरपालिका, रावतसर

2.6.5 आमोद–प्रमोद

वर्तमान में आमोद–प्रमोद में रावतसर काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर आमोद–प्रमोद के अन्तर्गत लगभग 3 एकड़ भूमि है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का मात्र 0.28 प्रतिशत है। इस उपयोग के लिये कम भूमि होना यहाँ पर इन साधनों की कमी का होना दर्शाता है। वर्तमान में यहाँ पर 5 सामुदायिक पार्क, यथा वार्ड नं. 18 में परशुराम वाटिका व रामलीला मैदान, वार्ड नं. 5 में ग्रीन पार्क, वार्ड नं. 14 में इन्द्रा पार्क व वार्ड नं. 22 में सिंचाई विभाग की आवासीय कालोनी में पार्क की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर राजकीय सीनियर सैकेण्डरी

स्कूल में स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध है। नगर के समस्त पार्कों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। रावतसर में मनोरंजन हेतु कोई क्लब या संस्था नहीं हैं। यहाँ पर अस्थाई व्यवस्था के तहत् धार्मिक व नागरिक जागरूकता हेतु समय–समय पर नगर पालिका एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं।

2.6.5(अ) मेले एवं पर्यटन सुविधाएं

रावतसर में प्रतिवर्ष माह जनवरी–फरवरी में बाबा रामदेव जी एवं खेत्रपाल जी के मेलों का आयोजन किया जाता है इन मेलों में आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त समुदायों के लगभग 50,000 लोगों का आगमन होता है। लोगों में धार्मिक, सामाजिक एवं आपसी सहयोग की भावना जागृत करने के लिये इन मेलों का काफी महत्व माना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर आश्विन एवं कार्तिक माह में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने वाले दशहरा, दीपावली व सावन माह में मनाये जाने वाले रक्षा बन्धन एवं गणगौर के त्यौहारों का काफी महत्व है।

2.6.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक उपयोग

सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक सुविधाएं, चिकित्सा, धार्मिक, ऐतिहासिक, जनोपयोगी सुविधाएं तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएं आदि सम्मिलित हैं। नगर के विकास एवं जनसंख्या में वृद्धि के साथ सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार/विकास नहीं होने से वर्तमान उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं। सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत विद्यमान भू–उपयोग–2010 के आकलन के अनुसार लगभग 158 एकड़ भूमि है, जो विकसित क्षेत्र का 14.68 प्रतिशत है।

2.6.6 (अ) शैक्षणिक सुविधाएं

रावतसर में शिक्षा के क्षेत्र में सन्तोषजनक विकास हुआ है। यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं की संख्या पर्याप्त है। यहाँ पर 12 सरकारी एवं 35 निजी विद्यालय है। यहाँ 5 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 14 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 28 प्राथमिक विद्यालय हैं। नगर में अधिकतम शिक्षण संस्थाएं, राज्य राजमार्ग के पश्चिमी भाग में संचालित है, इनमें प्रमुख रूप से वार्ड नं. 16 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वार्ड नं. 2 व 12 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इत्यादि संचालित हैं।

इसी प्रकार नगर के अन्य भागों में यथा भगत सिंह चौक, किले के समीप रामलीला मैदान के सामने, नगर से नोरखी को जाने वाले मार्ग पर शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं।

शिक्षण संस्थान में स्कूलों के अतिरिक्त यहाँ 5 महाविद्यालय एवं 1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं। यहाँ 3 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय यथा चौधरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, पीआर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, गुरू परमेश्वर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय इत्यादि के अतिरिक्त 2 महाविद्यालय सरस्वती विद्या निकेतन, कन्या महाविद्यालय एवं डा. राजेन्द्र प्रसाद सहशिक्षा महाविद्यालय संचालित हैं। यहाँ पर 1 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भी संचालित है। इन समस्त शिक्षण संस्थाओं में लगभग 14667 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। महाविद्यालयों में खेल मैदान इत्यादि की सुविधाओं हेतु पर्याप्त स्थान है। रावतसर में शिक्षा सुविधाओं की स्थिति को तालिका–7 में दर्शाया गया है:–

तालिका – 7

शिक्षा सुविधाएं, रावतसर, 2010

क्र.सं.	विद्यालयों के प्रकार	आयु वर्ग	विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या	विद्यालयों की संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	6–11	11287	28
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	12–14	1693	14
3	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय	15–18	**397**	5
	योग		**13377**	**47**

स्त्रोतः नगरपालिका, रावतसर

2.6.6(ब) चिकित्सा सुविधाएं

रावतसर में राज्य राजमार्ग–7 पर वार्ड नं. 14 में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है जिसमें 50 शैयाएं हैं। यहाँ पर 15 चिकित्सकों व 21 नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत पदों के विरूद्ध 9 चिकित्सक व 15 नर्सिंग स्टाफ कार्यरत हैं। यहाँ एम्बुलेंस, एक्स–रे मशीन, ईसीजी आदि की सुविधाएं है। यहाँ पर राजकीय चिकित्सालय के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में कुल 18 नर्सिंग होम/क्लिनिक भी संचालित हैं जिनमें वार्ड नं. 20 में 1 निजी क्षेत्र का

चिकित्सालय डूडी अस्पताल, चौपड़ा दांतों का अस्पताल, वार्ड नं. 14 में वर्मा नर्सिंग होम, वार्ड नं. 18 में ललित अस्पताल के नाम से संचालित हैं। यहाँ तहसील कार्यालय के समीप 1 राजकीय पशु चिकित्सालय व वार्ड नं. 8 में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित हैं।

रावतसर में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति को तालिका–8 में दर्शाया गया है।

तालिका–8

चिकित्सा सुविधाएं, रावतसर–2010

क्रमांक	चिकित्सा सुविधा	संख्या	उपलब्ध शैया
1	राजकीय चिकित्सालय	1	30
2	निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम/डिस्पेन्सरीज	18	4
3	राजकीय पशु चिकित्सालय	1	–
4	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय	1	–
	योग	**21**	**34**

स्त्रोतः नगरपालिका, रावतसर

2.6.6(स) सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक

रावतसर में समाजिक/सांस्कृतिक गतिविधियां सामान्य स्तर की होने के कारण विभिन्न समुदायों के व्यक्ति नगर में उपलब्ध रिक्त स्थलों में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। नगर के विभिन्न स्थानों पर मंदिर, मस्जिद व गुरूद्वारे इत्यादि धार्मिक स्थल हैं उनमें स्थानीय लोग पूजा व प्रार्थनाएं करते हैं। यहाँ पर 46 मन्दिर, 3 मस्जिद, 1 दरगाह व 1 गुरूद्वारा स्थित हैं। मन्दिरों में मुख्य रूप से खेत्रपालजी, केसराजी, हनुमानजी, बाबा रामदेवजी, दुर्गा माताजी, शिवजी, शीतला माताजी, मुरली मनोहर व शनि मन्दिर है। इन मन्दिरों में खेत्रपाल जी का मन्दिर जो कि वार्ड संख्या–16 में राज्य राजमार्ग पर स्थित है लगभग 465 वर्ष पुराना है। मस्जिदों में यहां की मस्जिदें 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है।

यहाँ पर 1 गुरूद्वारा लगभग 80 वर्ष पुराना है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से यहाँ पर वार्ड नं. 16 में रावतसर का किला स्थित है, जिसकी नींव विक्रम सम्वत् 1592 में रखी गई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 5 सामुदायिक भवन, वार्ड नं. 1, 8, 9, 19 एवं 25 में स्थित है। नगर में डाकघर, पुलिस थाना, दूरभाष केन्द्र की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

2.6.6(द) अन्य सामुदायिक सुविधाएं

अन्य सामुदायिक सुविधाओं में यहाँ पर वर्तमान में अग्निशमन केन्द्र व पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ का निकटतम अग्निशमन केन्द्र 38 कि.मी. की दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ में है।

यहां पर सिंचाई विभाग के विश्राम गृह की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 5 धर्मशालाएं यथा कुम्हार, बाबा रामदेव, ग्रेन मर्चेण्ट, ब्राह्मण एवं खेत्रपाल धर्मशाला आदि विभिन्न जाति, समुदायों की सुविधा के लिये नगर के विभिन्न भागों में स्थित हैं।

2.6.6(य) जनोपयोगी सुविधाएं

2.6.6(य)(i) जलापूर्ति

रावतसर में जलापूर्ति का मुख्य स्त्रोत खेतेवाली वितरिका है, जिससे प्रतिदिन लगभग 12 क्यूसैक पानी की आपूर्ति होती है। नगर में प्रतिदिन 3400 किलोलीटर पानी वितरित किया जाता है, जो लगभग 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। नगर में पर्याप्त दबाव से जल वितरण के लिए 4 ओवरहैड टैंक निर्मित है, जिनकी कुल क्षमता 1380 किलो लीटर है। इसके अतिरिक्त नगर में दो सी.डब्ल्यू.आर. स्थित है जिनकी क्षमता 1200 किलो लीटर है। नगर में दिन में एक बार एक से डेढ़ घण्टे की अवधि में पानी का वितरण किया जाता है। नहरी वितरीका का पानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हनुमानगढ़ राज्य राजमार्ग–7 पर संचालित जलदाय योजना जिसमें 5 रॉ वाटर टैंक जिनकी कुल

क्षमता 1,20,000 किलो लीटर है, के माध्यम से एकत्रित कर 5.93 एमएलडी क्षमता के फिल्टर प्लाण्टों के माध्यम से शुद्धिकरण उपरान्त वितरित किया जाता है। यहाँ कुल 5141 जल कनेक्शन हैं। रावतसर में जलापूर्ति की स्थिति को तालिका–9 में दर्शाया गया है:–

तालिका – 9

जलापूर्ति, रावतसर, 2010

क्र.सं.	उपयोग	कनेक्शन की संख्या
1	घरेलू	4498
2	व्यवसायिक	632
3	औद्योगिक	11
	योग	**5141**

स्त्रोतः जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रावतसर

2.6.6(द) (ii) मल–जल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन

रावतसर में मल–जल निकास की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। वर्षा के पानी के निकास के लिये नालियों का उचित प्रावधान नहीं है जिससे वर्षा के मौसम में पानी इधर–उधर सड़कों पर भरा रहता है तथा यातायात में बाधा आती रहती है। नगरपालिका ने कुछ स्थानों पर नालियों का निर्माण करवाया है, परन्तु अभी भी सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। नगर के अधिकांश मकानों में सैप्टिक टैंक या सोक पिट की व्यवस्था है। गन्दे पानी का निस्तारण खुली नालीयों के माध्यम से नगर के पश्चिम, दक्षिण एवं पूर्व दिशा में प्राकृतिक ढलान पर बने तालाबों में किया जाता है। वर्तमान में रावतसर नगरपालिका द्वारा नगर के 12 कि.मी. परिधि क्षेत्र में कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। इस हेतु 3 ट्रेक्टर ट्राली लगायी गयी है। वर्तमान में कचरा निस्तारण हेतु लगभग 10 एकड़ क्षेत्रफल में लैण्ड फिल साईट चयनित की गई है परन्तु नगरपालिका के पास जेसीबी/डम्पर ट्रक इत्यादि उपलब्धता नहीं होने के कारण कचरा निस्तारण में कठिनाइयाँ आ रही है।

2.6.6(द) (iii) विद्युत आपूर्ति

रावतसर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। नगर में कुल 50,000 यूनिट प्रतिदिन बिजली सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लाण्ट से प्राप्त होती है। यह आपूर्ति 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन द्वारा वितरित की जाती है जो वार्ड संख्या 24 में राज्य राजमार्ग–7 पर स्थित है। विद्युत सब स्टेशन राज्य की मुख्य विद्युत प्रणाली से जुड़ा है। वर्तमान में नगर में 50 बल्ब व 50 मर्करी व 200 ट्यूब लाईट के माध्यम से सार्वजनिक रोशनी की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है।

यहाँ प्रतिदिन 50,000 यूनिट बिजली की खपत होती है जबकि बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ते क्रियाकलापों के लिये अधिक बिजली की आवश्यकता है। रावतसरमें वर्ष 2010 में नगर में विद्युत कनेक्शन की संख्या को तालिका–10 में दर्शाया गया है।

तालिका 10

विद्युत आपूर्ति, रावतसर –2010

क्र.सं.	उपयोग	कनेक्शन की संख्या
1	घरेलू	5052
2	व्यावसायिक	1156
3	औद्योगिक	236
	योग	**6444**

स्त्रोतः जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रावतसर

2.6.6 (य) श्मशान एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में श्मशान एवं कब्रिस्तान नगर के अन्दरूनी हिस्सों में स्थित हैं। पूर्व में जब श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थल निर्धारित किये गये थे, उस समय नगर की जनसंख्या बहुत ही कम थी तथा नगर का अधिक विकास नहीं हुआ था। अतः यह बाह्य क्षेत्रों में थे लेकिन कालान्तर में जनसंख्या की वृद्धि एवं नगर के विस्तार के कारण श्मशान एवं कब्रिस्तान नगर के आन्तरित भागों में आ गये। वर्तमान में 7 श्मशान एवं 1 कब्रिस्तान हैं, जो कि मुख्यतया नगर के उत्तरी–पूर्वी भाग एवं पश्चिम दिशा में स्थित है।

2.6.7 परिसंचरण

परिसंचरण के अन्तर्गत यातायात व्यवस्था, नगर की समस्त सड़कों, बस तथा ट्रक टर्मिनल एवं रेलवे स्टेशन इत्यादि सेवाएं आती हैं, जिसके अन्तर्गत रावतसर में लगभग 238 एकड़ भूमि उपयोग में आ रही है जो विकसित क्षेत्र का लगभग 22.12 प्रतिशत है।

2.6.7 (अ) यातायात व्यवस्था

रावतसर राज्य राजमार्ग–7 एवं 36 पर स्थित होने के कारण श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, रायसिंहनगर, सीकर, झून्झूनूं, बीकानेर, संगरिया, पल्लू, इत्यादि से भली–भाँति जुड़ा हुआ है। भविष्य में नगर के विकास हेतु उक्त मार्गों का प्रमुख योगदान रहेगा।

उपर्युक्त मुख्य मार्गों के अतिरिक्त राज्य राजमार्ग–7 के पश्चिम दिशा में अनियोजित रूप से विकसित सड़कों एवं गलियों का जाल बिछा हुआ है। राज्य राजमार्ग–7, राधा स्वामी स्तसंग भवन, धान मण्डी, तहबाजारी, रामलीला मैदान, ज्वाला मंदिर, सिनेमा, बस स्टेण्ड, टैक्सी स्टेण्ड व सामुदायिक भवन के अतिरिक्त अधिकतम राजकीय कार्यालय एवं कॉटन मिल्स व अन्य व्यावसायिक गतिविधियां होने के कारण अति व्यस्तम मार्ग है।

इसी प्रकार राज्य राजमार्ग–36 पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व अन्य शैक्षणिक गतिविधियां संचालित है। इस राज्य मार्ग पर अभी अधिक विकास नहीं होने के कारण यातायात सुगमता से संचालित होता है।

नगर में राज्य राजमार्ग के पश्चिम दिशा के भाग में सड़कों के साथ–साथ मकान एवं दुकानें बनी हुई हैं। नगर में अधिकांशतः मिश्रित भू–उपयोग है। सड़कों के किनारे वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण हो रहा अतिक्रमण एवं अव्यवस्थित पार्किंग से भी सड़कों की चौड़ाई कम हो गई। नगर के छोटे रास्तों के साथ–साथ मकानों के आगे चबूतरे बनने से ये रास्ते भी संकरे हो गये हैं। चूंकि नगर पुराना बसा हुआ है, अतः सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना संभव नहीं है तथा यह आवश्यक है कि सड़कों से अतिक्रमण हटाये जाये। नगर के इस भाग में खुले स्थल काफी कम हैं। अतः पार्किंग की व्यवस्था आस–पास में उपलब्ध क्षेत्र में की जा सकती है। राज्य राजमार्ग–7 के बाहरी क्षेत्रों में ज्यादा अतिक्रमण

नहीं हुआ है, अतः भविष्य में मार्ग के इस भाग को होने वाले अतिक्रमणों से बचाना है।

2.6.7(ब) बस तथा ट्रक टर्मिनस

रावतसर नगर के वार्ड नं. 20 में राज्य राजमार्ग–7 एवं राज्य राजमार्ग–36 के जंक्शन पर बस स्टेण्ड व टेक्सी स्टेण्ड स्थित है। बस स्टेण्ड व यहां पर पार्किंग व सुलभ कॉम्पलेक्स का निर्माण आई.डी.एम.एम.टी योजना के अन्तर्गत हुआ है। यहां से प्रतिदिन गंगानगर, नोहर, भादरा, जयपुर, अजमेर, एलनाबाद, संगरिया, उदयपुर, भीलवाड़ा, सूरतगढ़ इत्यादि नगरों हेतु 203 बसों का संचालन किया जा रहा है जिनमें से 130 बसो का संचालन राज्य परिवहन निगम द्वारा एवं 73 बसों का संचालन निजी बस सेवा के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पर माल परिवहन सेवा के रूप में ट्रकों के द्वारा राजस्थान व अन्य राज्यों में माल परिवहन ट्रक, जीप, कार व मेटाडोर के माध्यम से किया जाता है। अतः बढ़ते यातयात की समस्या के निराकरण हेतु मास्टर प्लान में एक और बस स्टेण्ड तथा एक ट्रक टर्मिनस की सुविधा प्रदान कराने की आवश्यकता है।

रावतसर से प्रतिदिन अन्य राज्यों/नगरों में आवागमन हेतु संचालित की जा रही बसों व माल परिवहन सेवा का विवरण तालिका–11 में दर्शाया गया है:–

तालिका–11

बसों/माल परिवहन का विवरण

क्रमांक	बस का मार्ग	बसों की संख्या
(अ) राजस्थान रोड़वेज बस		
1	रावतसर से गंगानगर	65
2	रावतसर से नोहर, भादरा,	45
3	रावतसर से जयपुर	19
4	रावतसर से अजमेर	1
	योग	**130**
(ब) निजी बस सेवा		
1	रावतसर से एलनाबाद	10
2	रावतसर से संगरिया	12
3	रावतसर से पल्लु	8
4	रावतसर से न्यौलखी	4
5	रावतसर से जयपुर	22
6	रावतसर से उदयपुर	1

7	रावतसर से जोधपुर	1
8	रावतसर से भीलवाड़ा	1
9	रावतसर से झेदासर	3
10	रावतसर से हरदासवाली	3
11	रावतसर से एटा	2
12	रावतसर से सूरतगढ़	6
	योग	**73**
(स) माल परिवहन सेवा		
1	ट्रक	805
2	जीप/कार	252
3	ट्रेक्टर ट्राली	1110
4	मिनी ट्रक	310
	योग	**2477**

स्त्रोत – नगरपालिका, रावतसर

2.6.7(स) रेल एवं हवाई सेवा

रावतसर की स्थापना को 400 वर्ष होने के पश्चात् भी यहाँ रेलवे सेवा नहीं है। यहाँ निकटतम रेलवे स्टेशन की सुविधा 38 कि.मी. की दूरी पर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ में उपलब्ध है। रावतसर एक छोटा नगर होने के फलस्वरूप यहां हवाई पट्टी का कोई प्रस्ताव नहीं है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा 375 कि.मी. की दूरी पर जयपुर हवाई अड्डा है।

3

नियोजन की संकल्पना

प्रत्येक नगर का अपना एक जीवन्त अस्तित्व होता है और इसका स्वरूप केवल मात्र किसी घटना का परिणाम नहीं, बल्कि विकास के पीछे एक पूरा इतिहास पाया जाता है। इस प्रकार एक नगर के भौतिक स्वरूप और इसकी संरचना में उसके विकास के विभिन्न काल एवं अवस्थाओं के दौरान इसके निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास की छाप आवश्यक रूप से दिखाई देती है। समुदाय के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों के साथ–साथ नगरीय संरचना के प्रतिरूप में भी इतिहास काल के दौरान परिवर्तन होता रहता है।

व्यावसायिक, परिवहन और सामुदायिक सुविधाओं के विकास ने नगरों को अपनी पृष्ठभूमि की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपेक्षाकृत अधिक प्रायोगिक विकास केन्द्रों का स्वरूप प्रदान कर दिया है। पुराने नगरों के बाहरी इलाकों में बाजार, उद्यान, विद्यालय, कार्यालय इत्यादि स्थापित किये जा चुके हैं। परिणाम स्वरूप तीव्रगति से विकास होने के कारण नगर में छितराये रूप से विकास, संकुलित यातायात, असंगत उपयोग और सामुदायिक सुविधाओं का अभाव आदि अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अतः नगर नियोजन का उद्देश्य इन समस्याओं को न्यूनतम करना और भविष्य में नागरिकों के रहने के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।

भौतिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा नगर के भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप, विकास की दिशा आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास किया जाता है। एक बार नगर के सम्बन्ध में ऐसे वृहद् निर्णय कर लिए जाते हैं, तो दिन–प्रतिदिन के मसलों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढाँचे के संदर्भ में ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन नगर को अपने अन्तिम लक्ष्य एवं उद्धेश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम ओर आगे बढ़ाता है। इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक से न तो कोई निर्णय ही लिया जा सकता है और न ही किसी कार्यक्रम को एकाकी रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढ़ांचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार एक मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों का एक लिखित विवरण है। इसके

साथ एक भू–उपयोग योजना तथा अन्य मानचित्र भी होते हैं। भू–उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद परिसंचरण व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान नगर प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती है, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की प्रबल जनआकांक्षा हो सकती है। अतः कतिपय मान्यताएं निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप नियोजन की नीतियां निर्धारित की जाती है। इन नीतियों और उद्देश्यों के संदर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है। उक्त बिन्दुओं को आधार बनाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। रावतसर नगरीय क्षेत्र में मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया में इन क्रमों की पालना की गयी है।

3.1 नियोजन की नीतियाँ

रावतसर नगर कृषि प्रधान क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसका अपने पृष्ठ प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान है। यह नगर आगामी दशकों में भी अपने आस–पास के क्षेत्र के लिए कृषि उत्पाद विपणन केन्द्र के रूप में सेवाऐं प्रदान करता रहेगा। इसके अतिरिक्त उपखण्ड मुख्यालय होने के कारण यह प्रशासनिक केन्द्र के रूप में कार्य करता रहेगा। अतः रावतसर व्यापार एवं वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक केन्द्र रूप में सेवाऐं प्रदान करता रहेगा।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

रावतसर की बढ़ती जनसंख्या, नगर के विकास की दिशा, भावी औद्योगिक एवं व्यवसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए भू–उपयेाग के अनुरूप भूमि का आकलन किया जाना चाहिए ताकि इस अनुरूप समन्वित नियोजित विकास हो सके। उपर्युक्त वर्णित नियोजन नीतियों की पालना हेतु नियेाजन के निम्नांकित सिद्धान्त निश्चित किये गये हैंः–

1. रावतसर नगर में खाली भूमि उपलब्ध है, जिन पर अतिक्रमण तथा अनियोजित विकास की प्रबल सम्भावना है। अतः इन सभी क्षेत्रों का समुचित एकीकरण करने की दृष्टि से एक एकीकृत एवं समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।
2. रावतसर के नगरीय क्षेत्रों के लिए विस्तृत परिरक्षण योजना तैयार की जानी चाहिए और नहर एवं जलाशय आदि के किनारे पर बाग एवं उद्यान विकसित किया जाना चाहिए।
3. भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नगर में नियोजित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिए तथा नगर के

समीप प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।

4. पुराने नगर में व्यावसायिक गतिविधियों को बढावा नहीं दिया जाना चाहिए एवं स्थान तथा क्षेत्रीय मांग को पूरा करने हेतु उपयुक्त स्थानों पर व्यावसायिक सुविधाओं की पदानुक्रमी पद्धति विकसित की जानी चाहिए।
5. संकरी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को निषेध करने और उसे अन्यत्र संचारित करने के लिए उपयुक्त स्थान संधारित कर अनाज, भवन निर्माण सामग्री, लकड़ी और लोहा बाजार आदि जो अधिक यातायात को प्रोत्साहन देते हैं, के थोक बाजारों हेतु पर्याप्त भूमि आरक्षित की जानी चाहिए।
6. आवासीय घनत्व के अनुरूप सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सेवाओं का विवेक सम्मत वितरण किया जाना चाहिए।
7. नगर के लिए परिसंचरण प्रतिरूप की एक ऐसी पदानुक्रमी व्यवस्था विकसित की जाए कि इससे विभिन्न प्रकार की सड़कों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके।
8. नगर की परिधि पर किसी प्रकार से अनियोजित विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी बनाई जाए। परिधि नियंत्रण पटटी के अन्दर की ग्रामीण बस्तियों के विकास को नियन्त्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिए।
9. रावतसर कृषि उपज की एक प्रमुख मण्डी है। राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट 1958 के अन्तर्गत इसे 'डी' श्रेणी में रखा गया। 1920 के दशक में गंग कैनाल परियोजना से सिंचाई सुविधा के कारण कृषि क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ और आज राजस्थान मे एक प्रमुख मण्डी है। वर्तमान मण्डी प्रांगण के विस्तार की गुंजाइश नहीं है। अतः भावी आवश्यकताओं को देखते हुए मण्डी हेतु स्थल निर्धारित किया जाना चाहिए।

4.

भावी योजना का आकार

रावतसर नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान हेतु अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 27 राजस्व ग्रामों/चकों को सम्मिलित किया गया है, जिनका कुल क्षेत्रफल 17,382 एकड़ है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या 28,387 है जो कि आधार वर्ष 2010 में बढ़कर 36,490 एवं क्षितिज वर्ष 2031 में लगभग 65,566 होने का अनुमान है। वर्ष 2010 में विकसित क्षेत्र 1076 एकड़ है तथा आवासीय घनत्व 61 व्यक्ति प्रति एकड़ रहा है। इस बढ़ी हुयी जनसंख्या एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विस्तृत योजना तैयार की गयी है।

रावतसर नगर राज्य के उत्तर में स्थित है। वर्तमान में लगभग सभी गतिविधियाँ नगर के भीतर ही संचालित होती रही हैं। नगर के बाहरी भाग में ज्यादातर कृषि की जाती है। गत कुछ वर्षो से नगर से गुजर रहे राज्य राजमार्ग–7 एवं 36 के आसपास विकास होना शुरू हो गया है। मुख्यतः राज्य राजमार्ग–7 एवं रावतसर से हनुमानगढ़ जाने वाली मुख्य सड़क पर बस स्टेण्ड, टैक्सी स्टेण्ड, दूरसंचार कार्यालय, सिंचाई विभाग, धान मण्डी, विद्युत सब स्टेशन, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक निर्माण विभाग इत्यादि विकसित हो चुके हैं। इस प्रकार नगर का अधिकतम विकास राज्य राजमार्ग–7 पर हो रहा है। वर्तमान में राज्य राजमार्ग–7 नगर के मध्य से गुजरने के कारण यातायात के दबाव को कम करने के लिए नगर के चारो तरफ बाईपास प्रस्तावित किये गये है। प्रस्तावित बाईपास पर नगर के उत्तरी–पूर्वी भाग में बाईपास एवं राज्य राजमार्ग–7 के जंक्शन पर थोक व्यापार वेयर हाउसिंग व गोदाम सामुदायिक सुविधाएं, के अतिरिक्त पार्क, स्टेडियम, शैक्षणिक व जनोपयोगी सुविधाऐं हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये है। नगर के दक्षिण–पश्चिमी भाग में प्रस्तावित बाईपास पर जनोपयोगी सुविधाएं, शैक्षणिक सुविधाएं, राजकीय कार्यालय, स्टेडियम पार्क इत्यादि के उपयोग हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये है। राज्य राजमार्ग–7 के नगर को पूर्व व पश्चिम भाग में विभाजित करता है। वर्तमान में नगर का विकास राज्य राजमार्ग–7 के पूर्व दिशा में हो रहा है। राज्य राजमार्ग के पश्चिमी भाग में

पिछले 10 वर्षों में हुए विकास को मद्देनजर रखते हुए इस भाग मे प्रस्तावित बाईपास पर औद्योगिक क्षेत्र राजकीय एवं अन्य सामुदायिक शैक्षणिक व डिस्पेंसरी हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। इस प्रकार नगर की भावी विकास की परिकल्पना करते समय उपुर्यक्त तथ्यों एवं बाध्यताओं के साथ जनसांख्यिकी, व्यवसायिक संरचना, विकास योग्य क्षेत्र, नगरीकरण योग्य क्षेत्र, योजना परिक्षेत्रों इत्यादि महत्वपूर्ण तत्वों के आधार पर भू–उपयोग योजना–2031 तैयार की गई है।

4.1 जनसांख्यिकी

वर्ष 2001 की जनगणना के अुनसार रावतसर की जनसंख्या 28,387 थी। सबसे कम वृद्धि दर 1981–91 के दशक में नकारात्मक रही जो कि –14.62 प्रतिशत थी तथा वर्ष 1991–2001 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि 28.30 प्रतिशत रही। इस वृद्धि का मुख्य कारण सिंचाई की सुविधा एवं नगरीय सुविधाओं का विकास एवं रोजगार के साधनों की उपलब्धता आदि रहे हैं। चूंकि इस मास्टर प्लान का आधार वर्ष 2010 है, अतः वर्ष 2010 की जनसंख्या 36,490 के आधार पर मास्टर प्लान की गणना की गई है। वृद्धि दर पिछले 9 वर्षों से (2001–2010) में 28.54 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

रावतसर मण्डी **''डी''** श्रेणी की होने के कारण राजस्थान की मण्डियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस मण्डी के कारण नगर के विकास को काफी गति मिली है। रावतसर राज्य राजमार्ग–7 एवं राज्य राजमार्ग–36 पर स्थित होने के साथ अन्य महत्वपूर्ण नगर यथा हनुमानगढ़, संगरीया, नोहर, सुरतगढ़, भादरा, इत्यादि से सड़क मार्ग द्वारा सुगमता से जुड़ा है। उक्त समस्त गतिविधियों व उपलब्ध सिंचाई की सुविधा, रोजगार के साधन एवं परिवहन सुविधाओं के मद्देनजर नगर में विकास की संभावनाओं के अनुरूप इसकी भावी जनसंख्या वर्ष 2031 में 65,566 व्यक्ति आंकी गई है। वृद्धि दर वर्ष 2021–31 में 32.18 प्रतिशत रहने की संभावना है। जनसंख्या का अनुमान गत दशकों की वृद्धि दर एवं भावी विकास की संभावनाओं प्राकृतिक वृद्धि व प्रवासी जनसंख्या को भी दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न गणिविधियों के आधार पर किया गया है। तालिका–12 में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति एवं 2031 तक की अनुमानित जनसंख्या दर्शाई गई हैः–

तालिका 12

जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति, रावतसर (1981–2031)

वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	प्रतिशत
1981	25914	–	–
1991	22126	–3788	(–14.62)
2001	28387	6261	28.30
2010*	36490	8103	28.54
2011*	37524	1034	2.83
2021*	49601	12077	32.18
2031*	65566	15965	32.18

*स्त्रोतः भारतीय जनगणना एवं *अनुमान*

4.2 व्यावसायिक संरचना

व्यावसायिक संरचना नगर के पिछले वर्षों में हुई जनसंख्या वृद्धि, वर्तमान एवं भूतकालीन परिस्थितियों, भविष्य की आर्थिक सम्भावनाओं के साथ अन्य नगरों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है तथा यह अनुमान लगाया गया है कि क्षितिज वर्ष 2031 तक कुल जनसंख्या के 35 प्रतिशत के लगभग कार्यशील जनसंख्या होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2001 में यह 27.92 प्रतिशत तथा वर्ष 2010 में 31.00 प्रतिशत रही है। अर्थात वर्ष 2001 में 7,927 कामगारों की तुलना में वर्ष 2031 में 22,948 कामगारों की संख्या होने की संभावना है।

यह अनुमान है कि रावतसर व्यापार एवं वाणिज्य, अन्य सेवाओं तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास करता रहेगा। इस प्रकार नगरीय गतिविधियों में वृद्धि के कारण खेतीहर मजदूरों के प्रतिशत में कमी आएगी तथा शेष क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत में वृद्धि होगी। क्षितिज वर्ष में व्यावसायिक संरचना और प्रत्येक वर्ग में श्रमिकों का विवरण तालिका–13 में दर्शाया गया है:–

तालिका–13

व्यावसायिक संरचना, रावतसर, 2031

क्र. सं.	व्यवसाय	2001		2010 (अनुमानित)*		2031(अनुमानित)*	
		व्यक्ति	कामगारों का प्रतिशत	व्यक्ति	कामगारों का प्रतिशत	व्यक्ति	कामगारों का प्रतिशत
1	काश्तकार, कृषि मजदूर, वानिकी इत्यादि	1870	23.59	1234	10.91	457	1.99
2	उद्योग	990	12.49	1420	12.55	2893	12.61
3	निर्माण	135	1.70	199	1.76	420	1.83
4	व्यापार एवं वाणिज्य	1426	17.99	2043	18.06	4158	18.12
5	परिवहन एवं संचार	200	2.52	293	2.59	610	2.66
6	अन्य सेवायें	3306	41.71	6123	54.13	14410	62.79
	कुल	**7927**	**100.00**	**11312**	**100.00**	**22948**	**100.00**
	कामगारों का प्रतिशत	**27.92**		**31.00**		**35**	

*स्त्रोत : भारतीय जनगणना एवं *अनुमान*

यह अनुमान लगाया गया है कि विकास के साथ–साथ कामगारों का झुकाव कृषि एवं उस पर आधारित व्यवसाय से व्यापार एवं वाणिज्य क्रिया कलापों में बढ़ेगा, तथा अन्य सेवाओं जैसे कि परिसंचरण, उद्योग, निर्माण तथा सरकारी एवं अन्य कार्यों में भी कामगारों की वृद्धि की प्रवृति को ध्यान में रखकर ही भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर औद्योगिक क्रियाकलापों हेतु समुचित प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

4.3 नगरीय क्षेत्र

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.10(117) नविवि/3/10 जयपुर दिनांक 16.07.2010 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 वर्ष 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत रावतसर

के नगरीय क्षेत्र में रावतसर सहित 27 राजस्व ग्रामों/चकों को अधिसूचित कर नगरीय क्षेत्र में सम्मलित किया गया है। इनका कुल अधिसूचित क्षेत्र 17,382 एकड़ है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर अनियोजित विकास को नियंत्रित करने की दृष्टि से परिधि नियंत्रण क्षेत्र निर्धारित किया गया है। अधिसूचित ग्रामों की सूची परिशिष्ट–3 में दी गई है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

रावतसर की जनसंख्या वर्ष 2001 में 28,387 से बढ़कर मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में 65,566 होने का अनुमान है। चूंकि आधार वर्ष 2010 है, अतः इस वर्ष की अनुमानित जनसंख्या 36,490 है। इस प्रकार योजना अवधि में लगभग 29,076 व्यक्तियों की वृद्धि होगी। भविष्य में विकास हेतु वर्ष 2031 तक विकास के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त आवासीय क्षेत्र, कार्य स्थलों एवं सामुदायिक सुविधाओं के साथ सुगम यातायात व्यवस्था के लिये 3,273 एकड़ भूमि आवश्यकता होगी तथा जन घनत्व अनुमानतः लगभग 20 व्यक्ति प्रति एकड़ होने का अनुमान है। भूमि की उपलब्धता तथा वर्तमान विकास से प्रतीत होता है कि नगरीय विकास अधिकतर राज्य राजमार्ग–7 के पूर्वी दिशा में होगा। राज्य राजमार्ग–7 के पश्चिमी दिशा में नगर मे हुए विकास को मद्देनजर रखते हुए इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं कम आंकी गई है।

4.5 योजना क्षेत्र

विद्यमान विशेषताओं एवं आर्थिक क्रियाकलापों के लिए भू–उपयोग सहित प्राकृतिक अवशेष तथा विभिन्न गतिविधियों के पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए रावतसर को चार योजना परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। परिधि नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर शेष प्रत्येक योजना परिक्षेत्र, आवासीय, व्यवसायिक, आमोद–प्रमोद, शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर होंगे। प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं का नगरीय क्षेत्र मानचित्र में राजस्व ग्रामों के नाम विद्यमान नगरीकृत क्षेत्र व नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमाओं के साथ दर्शाया गया है। प्रत्येक योजना क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्रफल को तालिका 14 में दर्शाया गया है :–

तालिका – 14

योजना क्षेत्र, रावतसर – 2031

क्रम संख्या	योजना	क्षेत्रफल (एकड़)
अ	उत्तर–पूर्वी योजना परिक्षेत्र	710
ब	दक्षिणी–पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	965
स	पश्चिम योजना परिक्षेत्र	1598
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	**3273**
द	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	14109
कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र		**17382**

स्त्रोत – सर्वेक्षण एवं आकलन

4.5 (अ) उत्तर–पूर्वी योजना परिक्षेत्र

इस क्षेत्र में मुख्यतः पुराने नगर का पूर्वी दिशा का भाग स्थित है। इस क्षेत्र के पश्चिम मे राज्य राजमार्ग–36 एवं उत्तर व पूर्व में प्रस्तावित बाई पास के मध्य भाग का क्षेत्र स्थित है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 710 एकड़ है। इस क्षेत्र में नगर पालिका के वार्ड संख्या 21 एवं 22 स्थित है। यह क्षेत्र राज्य राजमार्ग–7 के पूर्व दिशा में नियोजित रूप से बसा हुआ है। इस क्षेत्र में सड़कों का जाल एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करता है। राज्य राजमार्ग–7 इस परिक्षेत्र का मुख्य मार्ग होने के कारण इस मार्ग पर दूरसंचार कार्यालय, उप–जिला खण्ड व तहसील, सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चौधरी कॉटन मिल्स के अतिरिक्त राज्य राजमार्ग संख्या–36 पर औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, इण्डियन महाविद्यालय व अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि इस परिक्षेत्र में अधिकतम सरकारी कार्यालय होने के कारण यह क्षेत्र नगर का महत्वपूर्ण भाग है। इस परिक्षेत्र मे 33 के.वी.ए. की विद्युत लाईन गुजरती है। इस परिक्षेत्र मे से डाबली कालान, ओमपुरा, हनुमानगढ़, नोहर इत्यादि राजस्व ग्रामों/नगरों को जाने वाले मार्ग गुजरते हैं।

इस क्षेत्र हेतु प्रस्ताव है कि भूमि नगर के अधिकतम सरकारी कार्यालय इस परिक्षेत्र मे संचालित है। अतः इस भाग में राजकीय उपयोग प्रस्तावित नहीं करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य राजमार्ग–7 पर थोक व्यापार, प्रस्तावित बाईपास पर भण्डारण एवं गोदाम, ट्रक टर्मिनल शैक्षणिक एवं स्टेडियम के अतिरिक्त अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

4.5 (ब) दक्षिणी–पश्चिमी योजना परिक्षेत्र

यह क्षेत्र राज्य राजमार्ग–7 के पूर्वी व राज्य राजमार्ग संख्या–36 के दक्षिणी दिशा में स्थित है। इस परिक्षेत्र के उत्तर में राज्य राजमार्ग संख्या–36 पश्चिम में राज्य राजमार्ग–7 एवं पूर्व व दक्षिण में प्रस्तावित बाई पास के मध्य का क्षेत्र है। इस परिक्षेत्र में नगरपालिका के वार्ड संख्या 5, 17, 18, 19, एवं 20 स्थित है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 965 एकड़ है। इस क्षेत्र की वर्तमान बसावट में क्षेत्र के दक्षिणी–पश्चिमी भाग का ढलान पूर्व से पश्चिम की और है। राज्य राजमार्ग–7 के पूर्वी दिशा मे विकसित इस भाग में सड़क एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करती है। इस परिक्षेत्र में राज्य राजमार्ग–7 पर राधा स्वामी सत्संग भवन, धान मण्डी, तहबाजारी सिनेमा, रामलीला मैदान, बस टर्मिनल, टैक्सी स्टेण्ड के अतिरिक्त राजस्थान भण्डारण निगम के गोदाम व अन्य वाणिज्यिक व सामुदायिक गतिविधियाँ संचालित है। इस परिक्षेत्र में राजस्व भण्डारण गोदाम के समीप गंदा तालाब स्थित है, जिससे इस परिक्षेत्र का गंदा पानी इकट्ठा होता है। इस परिक्षेत्र मे से 3 आर डब्ल्यू एस एम, 17 डी डब्ल्यू डी, नोरसी नोहर एवं जयपुर इत्यादि राजस्व ग्रामों/नगर को जाने वाले मार्ग गुजरते हैं।

इस परिक्षेत्र का विकास चूंकि वर्तमान में नगर नियोजन के सिद्धान्तों के अनुरूप हो रहा है। अतः इस परिक्षेत्र मे वर्तमान में संचालित वाणिज्यिक, राजकीय, धार्मिक, इत्यादि गतिविधियों के विकास योग्य भाग में आवासीय, स्टेडियम, डिस्पेंसरी व अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के अतिरिक्त जनोपयोगी सुविधाओं हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये है।

4.5 (स) पश्चिमी योजना परिक्षेत्र

यह परिक्षेत्र राज्य राजमार्ग–7 के पश्चिमी दिशा में स्थित मुख्यतया पुराने नगर का भाग है। इस परिक्षेत्र के उत्तर से पश्चिम में प्रस्तावित बाईपास एवं दक्षिण, पूर्व में राज्य राजमार्ग–7 के मध्य क्षेत्र का भाग स्थित है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 1598 एकड़ है। इस परिक्षेत्र में पुराने नगर का लगभग 90 प्रतिशत भाग स्थित होने के कारण यहाँ नगर पालिका के वार्ड नं. 1 से 4 एवं 6 से 16 व 23 से 25 स्थित है। इस भाग में पुराने नगर का अधिकांश भाग स्थित होने के कारण यह बहुत भीड़–भाड़ वाला सघन रूप से बसा हुआ क्षेत्र ह।, इस भाग में सड़कें टेढ़ी–मढ़ी हैं। यहाँ पर आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई कम होने के कारण निरन्तर यातायात की समस्या बनी रहती है। इस क्षेत्र मे वार्ड संख्या 8 में नगर के सबसे पुराना स्थल ढाब स्थित है। इसके अतिरिक्त वार्ड संख्या 16 में

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय चिकित्सालय वार्ड संख्या 22 में नगर का प्राचीन एवं मशहूर खेत्रपाल जी का मन्दिर, गुरू जम्भेश्वर सैकेण्डरी स्कूल, वार्ड नं. 24 में जोधपुर विधुत वितरण निगम लि0, श्मशान एवं वार्ड नं. 25 में जैतानी जोहड़ी, श्मशान व कब्रिस्तान स्थित है। यहाँ वार्ड नं. 10 में सामुदायिक भवन व अन्य वार्डों में शैक्षणिक संस्थान इत्यादि संचालित है। इस परिक्षेत्र में राज्य राजमार्ग–7 पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्राथमिक चिकित्सालय, पुलिस थाना इत्यादि स्थित है। परिक्षेत्र के इस भाग में से जयपुर, हनुमानगढ़, 9 के.डब्ल्यू.डी., 2 ए.पी.एम., व सूरतगढ़ इत्यादि नगरों/राजस्व ग्रामों को जाने वाले मार्ग गुजरते हैं।

भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए इस परिक्षेत्र में विकास योग्य क्षेत्र में अधिकतम आवासीय गतिविधियाँ प्रस्तावित करने के साथ नगर के दक्षिणी–पश्चिमी भाग में प्रस्तावित बाईपास एवं राज्य राजमार्ग–7 पर औद्योगिक क्षेत्र, ट्रक टर्मिनस, भण्डारण, गोदाम एवं राजकीय कार्यालयों के अतिरिक्त इस परिक्षेत्र में पशु चिकित्सालय, अन्य वाणिज्यिक सामुदायिक एवं डिस्पेंसरी इत्यादि सुविधाओं हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

4.5 (द) परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र

उपर्युक्त योजना क्षेत्रों के अतिरिक्त मास्टर प्लान का वह भाग, जो नगरीकरण योग्य क्षेत्र की सीमा और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है को परिधि नियन्त्रण पट्टी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह क्षेत्र ग्रामीण प्रकृति का होगा और यहाँ पर भूमि का उपयोग कृषि, जंगलात, बागवानी, उद्यान, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मोटल, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क एवं इनसे संबंधित उपयोगों हेतु ही उपलब्ध होगा। इस क्षेत्र के प्रस्ताव से नगर के बाहरी क्षेत्रों में होने वाले अव्यवस्थित नगरीय विकास पर अंकुश लगेगा। परिधि नियंत्रण क्षेत्र में वृहद् परियोजनाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर की अनुमति के पश्चात् नगर के चहुंमुंखी विकास एवं उपलब्ध होने वाले रोजगार के मद्देनजर स्वीकृत/स्थापित की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त इस क्षेत्र में अन्य किसी भी प्रकार की अवांछित नगरीय विकास की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा कृषि सम्बन्धित कार्यों की ही प्रधानता होगी। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 14,109 एकड़ है।

5.

भू–उपयोग योजना

भू–उपयोग योजना नगर नियोजन की विभिन्न नीतियों और सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर नगर के विस्तार हेतु तैयार की गयी भावी योजना है। इसकी रचना नगर की विद्यमान विशेषताओं एवं सम्भावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गयी है। नगरीय भूमि दुर्लभ संसाधन है अतः इसका उपयोग जहाँ तक संभव हो, समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधि–सम्मत आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित तथा समन्वित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर परिकल्पना की गयी है तथा नगर नियोजन मानदण्डो के अनुरूप विभिन्न नगरीय कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकताओं का आकलन किया गया है। क्षेत्र विशेष की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए भू–उपयोग योजना में विभिन्न नगरीय कार्य स्थलों की स्थिति दर्शायी गयी है। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित भू–उपयोग योजना हेतु विभिन्न भू–उपयोग के लिए उपर्युक्त घनत्व के मानदण्डों के अनुसार वर्ष 2010 में भू–उपयोग में कमी/अधिकता तथा क्षितिज वर्ष 2031 में कुल आवश्यक क्षेत्रफल का आंकलन किया गया है। इस प्रकार क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए प्रस्तावित भू–उपयोग हेतु कुल 3218 एकड़ भूमि विकास योग्य क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित की गयी है। उक्त विकास योग्य क्षेत्र में 60.50 प्रतिशत आवासीय, 6.59 प्रतिशत वाणिज्यिक, 3.42 प्रतिशत औद्योगिक, 2.08 प्रतिशत राजकीय (सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय), 9.11 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक, 6.12 प्रतिशत आमोद–प्रमोद तथा 12.18 प्रतिशत परिसंचरण उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भू–उपयोग विवरण तालिका–15 में दर्शाया गया है :–

तालिका 15

प्रस्तावित भू–उपयोग, रावतसर, 2031

भू – उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़)	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
आवासीय	1947	60.50	59.48
वाणिज्यिक	212	6.59	6.48
औद्योगिक	110	3.42	3.36
राजकीय	67	2.08	2.06
आमोद–प्रमोद	197	6.12	6.02
सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	293	9.11	8.95
परिसंचरण	392	12.18	11.98
विकास योग्य क्षेत्र	**3218**	**100**	**98.33**
कृषि	3		0.09
जलाशय	52		1.58
नगरीयकरण योग्य	**3273**		**100**

स्त्रोतः सर्वेक्षण एवं आकलन

5.1 आवासीय

आवासीय क्षेत्रों की योजना इस प्रकार से तैयार की गयी है ताकि यहां स्वस्थ पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले तथा कार्य केन्द्रों और आमोद–प्रमोद के स्थलों तक जाने के लिए समय और दूरी में कमी बनी रहे। निकटवर्ती प्रतिरूप के अनुसार युक्तिसंगत आवासीय विकास नागरिकों को सुविधाजनक जीवन प्रदान कर सकेगा तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। लोगों को आवासीय बस्तियों के निकट दिन–प्रतिदिन की लोकोपयोगी सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस दृष्टि से लगभग 65,566 व्यक्तियों को बसाने के लिए कुल 1,947 एकड़ आवासीय भूमि प्रस्तावित की गयी है।

मास्टर प्लान में तीन प्रकार के आवासीय घनत्व प्रस्तावित गये हैं। नगर के पुराने भाग में आवासीय घनत्व 101–150 व्यक्ति प्रति एकड़ से अधिक होगा, जबकि कार्यस्थलों और वर्तमान अर्द्ध विकसित क्षेत्र के पास वाले क्षेत्रों में जन घनत्व 51–100 व्यक्ति प्रति एकड़ प्रस्तावित है। इसके साथ–साथ योजना के नियोजन मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए नये आवासीय क्षेत्र 50 व्यक्ति प्रति एकड़ से कम की सघनता के साथ विकसित करने का प्रयास किया जायेगा।

रावतसर में जो कच्ची बस्तियाँ बसी हुई हैं, ऐसे क्षेत्रों में सभी मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था के साथ पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुधार को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है। 2010 में रावतसर में विकसित क्षेत्र का 55.3 प्रतिशत अर्थात 595 एकड़ क्षेत्र आवासीय उपयोग के अन्तर्गत था। इस तरह आवासीय घनत्व कुल 61 व्यक्ति प्रति एकड़ आता है। इसे क्षितिज वर्ष 2031 तक 34 व्यक्ति प्रति एकड़ किया जाना प्रस्तावित है। फलस्वरूप वर्ष 2010 की जनसंख्या के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ 478 एकड़ क्षेत्र की कमी का आकलन किया गया है। वर्ष 2010–2031 के दौरान अतिरिक्त जनसंख्या के लिए 874 एकड़ और अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता का आकलन किया गया है। इस तरह क्षितिज वर्ष 2031 के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ कुल 1947 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.1 (1) आवासन

आवास, मानव समुदाय की एक मूल आवश्यकता है और इसके अन्तर्गत सर्वाधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है। अतः आवश्यक है कि नगरपालिका आवास परियोजना तैयार करे और समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराये। वर्तमान में चल रही योजनाओ के अतिरिक्त स्थानीय निकाय को भूखण्ड विकास के कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि नियोजित ढ़ग से लोगों की आवासीय मांग को पूरा किया जा सके।

5.1 (2) अनौपचारिक सैक्टर हेतु योजना

वर्तमान में पुराने विकसित क्षेत्रों में अनौपचारिक वर्ग हेतु कोई प्रावधान नहीं है लेकिन नगर में अव्यवस्थित रूप से कुछ छोटे–छोटे व्यवसाय चल रहे हैं। अतः इनको व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप भविष्य में विकसित की जाने वाली कार्य योजनाओं में अनौपचारिक वर्ग हेतु उचित स्थल आरक्षित किये जावेंगे।

5.1 (3) कच्ची बस्तियाँ

नगरपालिका को चाहिए कि भविष्य में कच्ची बस्तियों व अनियोजित आवासीय क्षेत्रों के विस्तार को हतोत्साहित करने के प्रयोजन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों का आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाए तथा विद्यमान कच्ची बस्तियों के क्षेत्रों का नियोजित विकास एवं सुधार

समयबद्ध कार्यक्रम में किया जावे। इस सम्बन्ध में पुनर्विकास का कार्य उन क्षेत्रों में किया जायेगा, जहां झुग्गी झोपड़ियाँ स्थापित हो चुकी हैं और जिन्हें हटाया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी योजना बनाते समय यह प्रयास किया जाये कि विस्थापन कम से कम हो। कच्ची बस्ती क्षेत्र में सुधार और उनके पुनर्विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। ऐसी योजना में पर्यावरण सुधार एवं मूलभूत नागरिक सुविधाएं जैसे प्रकाश, जलापूर्ति, सार्वजनिक शौचालय, सडकों आदि की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

5.2 वाणिज्यिक

रावतसर वाणिज्यिक, व्यापार एवं वितरण का एक प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक नगर के विभिन्न वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक संस्थानों में कुल कार्यशील व्यक्तियों का 18.12 प्रतिशत के आधार पर 4158 व्यक्ति एवं वाणिज्यिक कार्यकलापों में कार्यरत रहेंगे। मास्टर प्लान में कुल 212 एकड़ क्षेत्रफल जो कि कुल विकास योग्य क्षेत्र का 6.59 प्रतिशत है, वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रस्तावित किया गया है।

रावतसर में भौतिक विकास के साथ–साथ वाणिज्यिक गतिविधियों का भी विकास हुआ है। पिछले दो दशको में नगर के प्रमुख मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण यातायात व पार्किंग की समस्या बढ़ रही है। नगर में वाणिज्यिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से आंतरिक भाग एवं राज्य राजमार्ग–7 के दोनों ओर केन्द्रित है। वाणिज्यिक गतिविधियों को अधिक तार्किक व सुसगंत बनाने तथा दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु अनावश्यक आवागमन से बचने के लिए मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियाँ की पदानुक्रम व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ताकि क्षेत्र में वाणिज्यिक सुविधाएं सहज उपलब्ध हो सके।

वर्ष 2001 में वाणिज्यिक गतिविधियों में 1,426 व्यक्ति कार्यरत थे, जो क्षितिज वर्ष में 4,158 व्यक्ति होने का आकलन किया गया है। आधार वर्ष 2010 में विकसित क्षेत्र का 5.48 प्रतिशत भाग अर्थात् 59 एकड़ क्षेत्र वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग के अन्तर्गत था, जो क्षितिज वर्ष 2031 में 6.59 प्रतिशत अर्थात 212 एकड़ प्रस्तावित किया गया है। विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियों का संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ मास्टर प्लान में प्रस्तावित पदानुक्रम वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण तालिका–16 में दर्शाया गया हैः–

तालिका 16

प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, रावतसर– 2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र	51
2	थोक व्यापार एवं विशेष बाजार	66
3	भण्डारण एवं गोदाम	55
4	वाणिज्यिक केन्द्र	40
योग		**212**

स्त्रोतः सर्वेक्षण एवं आकलन

5.2 (1) केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र

नगर का तहबाजारी मुख्य बाजार क्षेत्र ही केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र है। वर्तमान में केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र राज्य राजमार्ग–7 के पूर्वी दिशा में स्थित है। चूंकि इस भाग को सुनियोजित रूप से विकसित किया गया है परन्तु भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान सड़को की चौड़ाई एवं वांछित स्थान उपलब्ध नहीं हो पाने की संभावना है। अतः मास्टर प्लान में उत्तरी–पूर्वी एवं दक्षिणी–पूर्वी व पश्चिमी योजना परिक्षेत्रो में 51 एकड़ भूमि केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र हेतु प्रस्तावित की गई है।

5.2 (2) थोक व्यापार एवं विशेष बाजार

रावतसर में वर्तमान में 13 एकड़ भूमि पर थोक व्यापार केन्द्र स्थित है जिसके कारण यहाँ पर लोगों को काफी परेशानी होती है। अतः भविष्य की आवश्यकता के मद्देनज़र नगर के उत्तरी भाग में उत्तरी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र में राज्य राजमार्ग–7 पर लगभग 53 एकड़ भूमि थोक व्यापार एवं विशेष बाजार हेतु प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार कुल 66 एकड़ भूमि थोक व्यापार एवं विशेष बाजार हेतु प्रस्तावित की गई है।

5.2 (3) भण्डारण एवं गोदाम

रावतसर नगर में भविष्य में सम्भावित थोक व्यापार एवं अन्य औद्योगिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उत्तरी–पूर्वी योजना क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया हैं। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने पर नगर में भण्डारगृहों एवं गोदामों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में राज्य राजमार्ग–7 पर धान मण्डी के पास 5 एकड़ क्षेत्रफल में राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग गोदाम की सुविधा के अतिरिक्त भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तरी–पूर्वी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित बाई पास पर 50 एकड़ अतिरिक्त भूमि

भण्डारण व्यवस्था हेतु प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार कुल 55 एकड़ भूमि भण्डारण एवं गोदाम हेतु प्रस्तावित की गई है।

5.2 (4) वाणिज्यिक केन्द्र

पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में यातायात संबंधी अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। यह व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र नगर के केन्द्र में घने बसे भागों में स्थित हैं, जहाँ पर न तो पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है एवं न ही सामान को लादने एवं उतारने की सुविधा उपलब्ध है। अतः केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र से यातायात के दबाव को कम करने के लिए तथा व्यापार को उचित स्थानों पर विकेन्द्रित किये जाने के लिए रावतसर मास्टर प्लान के उत्तरी–पूर्वी एवं दक्षिणी–पश्चिमी एवं पश्चिमी योजना परिक्षेत्रो में वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये है तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि नगर के चारों ओर समुचित मात्रा में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध हो सकें। वाणिज्यिक केन्द्र में खुदरा वाणिज्यिक दुकानें, सिनेमा, होटल, पेट्रोल पम्प एंव सामुदायिक भवन आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस हेतु विभिन्न स्थानों पर 40 एकड़ भूमि वाणिज्यिक केन्द्र हेतु प्रस्तावित की गयी है। ये केन्द्र योजना क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र से 15 से 20 मिनट के समय की दूरी पर स्थित होंगे। वाणिज्यिक केन्द्र योजना क्षेत्र में दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खरीददारी करने के लिये स्थानीय दुकानें भी सम्मिलित रहेंगी।

5.3 औद्योगिक

इन्दिरा गाँधी कैनाल के आने के बाद रावतसर में औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढ़ी है तथा ऐसा माना गया है कि भविष्य में औद्योगिक विकास तीव्र गति से होगा। नहर का मीठा पानी उद्योगों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रावतसर में 2001 में औद्योगिक गतिविधियों में 990 व्यक्तियों की तुलना में 2031 में 2893 व्यक्ति हो जाएंगे। अतः स्पष्ट है कि रावतसर में औद्योगिक कामगारों की संख्या काफी बढेगी। रावतसर में लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों का विस्तार होगा। विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण तालिका–17 में दर्शाया गया है।

तालिका–17

औद्योगिक गतिविधियों के अन्तर्गत भू–उपयोग का विवरण, रावतसर 2031

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
विद्यमान				
1	संत साहिब कॉटन मिल्स	1	हनुमानगढ़ रोड	10
2	चौधरी कॉटन मिल्स	1	हनुमानगढ़ रोड	
3	ओम प्रकाश सैसवाल कॉटन मिल्स	1	हनुमानगढ़ रोड	
	योग			**10**
प्रस्तावित				
1	पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	4	पश्चिमी योजना परिक्षेत्र राज्य राजमार्ग–7	100
	योग			
	कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित) 10+100			**110**

स्त्रोत – सर्वेक्षण एवं आकलन

नगर की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में राज्य राजमार्ग–7 पर औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। घरेलू एवं सर्विस उद्योगों को आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्रों में ही रहने दिया जाएगा। एक अकेला उद्योग किसी भी तरह योजनाबद्ध औद्योगिक विकास का लाभ नहीं ले सकता है। अतः संतुलित औद्योगिक विकास के लिए सभी उद्योगों को एक ही केन्द्र पर स्थापित कर उनको योजनाबद्ध ढंग से विकसित किया जाना जरूरी होता है। अतः इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भविष्य की आवयकताओं को देखते हुए पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में राज्य राजमार्ग–7 एवं प्रस्तावित बाई पास के जंक्शन पर 54 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित की गयी है, जिसका मुख्य आधार संतुलित औद्योगिक विकास के लिए सभी उद्योगों के एक ही स्थान पर स्थापित करना है।

5.4 राजकीय

5.4 (1) सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय

रावतसर में कुल 5 कार्यालय हैं, इनमें 2 केन्द्र सरकार एवं 13 राज्य सरकार के सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय स्थित हैं। इनमें लगभग 269 कर्मचारी कार्य करते हैं। नगर में अधिकतम कार्यालय राज्य राजमार्ग के पूर्वी भाग में निरन्तरता में राज्य राजमार्ग पर स्थित है। केन्द्र सरकार के 2 सरकारी कार्यालय वार्ड नं. 22 में राज्य राजमार्ग–7 पर स्थित हैं। राज्य सरकार के 7 सरकारी कार्यालयों में वार्ड नं. 22 में राज्य राजमार्ग–7 पर उपखण्ड अधिकारी, तहसील, कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर कार्यालय, न्यौलखी मार्ग पर सिंचाई विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, के कार्यालय स्थित है। राज्य सरकार के 6 अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में वार्ड नं. 24 में राज्य राजमार्ग 7 पर विद्युत वितरण निगम, वार्ड नं. 22 में पंचायत समिति वार्ड नं. 18 में कृषि उप मण्डी समिति, क्रय–विक्रय सहकारी समिति, वार्ड नं. 17 में राजस्थान भण्डार निगम व वार्ड नं. 14 में नगरपालिका इत्यादि स्थित है। राजकीय कार्यालयों में लगभग 269 व्यक्ति कार्यरत हैं। वर्तमान में केन्द्र व राज्य सरकार के सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों के अधीन 13 एकड़ भूमि है। केन्द्र व राज्य सरकार के सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों को स्थापित करने हेतु मास्टर प्लान के दक्षिणी–पश्चिमी एवं पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में अलग से 54 एकड़ भूमि और प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों के लिए कुल 67 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है। विद्यमान सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण तालिका–18 में दर्शाया गया है।

तालिका–18

राजकीय भू–उपयोग का विवरण, रावतसर 2031

क्र. सं.	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
विद्यमान				
1	सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालय	14	वार्ड नं. 13, 14, 18, 20, 22, 24	13
	योग			**13**
प्रस्तावित				
1	दक्षिणी–पश्चिमी एवं पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	3	प्रस्तावित बाई पास	54
	योग			**54**
	कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित) 13+54			**67**

स्त्रोतः सर्वेक्षण एवं आकलन

5.5 आमोद–प्रमोद

5.5 (1) उद्यान एवं खुले स्थल

वर्तमान में आमोद–प्रमोद में रावतसर काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहां पर आमोद–प्रमोद के अन्तर्गत लगभग 3 एकड़ भूमि है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का मात्र 0.28 प्रतिशत है। इस उपयोग के लिये कम भूमि होना यहाँ पर इन साधनों की कमी को दर्शाता है। वर्तमान में यहां पर 5 सामुदायिक पार्क, यथा वार्ड नं. 18 में परशुराम वाटिका व रामलीला मैदान, वार्ड नं. 5 में ग्रीन पार्क, वार्ड नं. 14 में इन्द्रा पार्क व वार्ड नं. 22 में आवासीय सिंचाई कॉलोनी में पार्क की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध है। नगर के समस्त पार्को में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। रावतसर में मनोरंजन हेतु कोई क्लब या संस्था नहीं है। यहाँ पर अस्थाई व्यवस्था के तहत् धार्मिक व नागरिक जागरूकता हेतु समय–समय पर नगर पालिका एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। इसकी पूर्ति के लिए मास्टर प्लान में उत्तरी–पूर्वी एवं दक्षिणी–पूर्वी एवं पश्चिमी योजना लगभग में लगभग 167 एकड़ भूमि का मास्टर प्लान में उद्यान एवं खुले स्थलों हेतु प्रावधान रखा गया है।

5.5 (2) स्टेडियम

रावतसर में वर्तमान में वार्ड नम्बर 16 में राजकीय सिनियर सैकण्डरी स्कूल परिसर में लगभग 1 एकड़ क्षेत्रफल में स्टेडियम है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम हैं। इसीलिए नगर की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए मास्टर प्लान में एक स्टेडियम उत्तरी–पूर्वी योजना क्षेत्र में तथा दूसरी स्टेडियम दक्षिणी–पश्चिमी योजना परिक्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिससे छात्र–छात्राओं के खेलकूद आदि के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हो सके। विद्यमान आमोद–प्रमोद की सुविधाओं के संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ मास्टर प्लान के प्रस्तावों का विवरण तालिका–19 में दर्शाया गया हैः–

तालिका–19

आमोद–प्रमोद, रावतसर 2031

क्र.सं.	आमोद–प्रमोद	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
विद्यमान				
1	पार्क व फुलवारी	3	अनेक	3
	योग			**3**
प्रस्तावित				
1	स्टेडियम	1	पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में	30
2	पार्क अन्य		विभिन्न स्थलों पर विभिन्न स्थलों पर विभिन्न स्थलों पर	164
	योग			**194**
	कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित) 3 + 194			**197**

स्त्रोतः सर्वेक्षण एवं आकलन

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक उपयोग

सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधाएं, सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल, जनोपयोगी सुविधाएं तथा श्मशान व कब्रिस्तान आदि सुविधाएं सम्मिलित है। रावतसर की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। परन्तु सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार व विकास नहीं होने से वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त है। इन समस्त सुविधाओं को नगर के निवासियों को उपलब्ध करवाना मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य है। अतः आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य में विकास की सम्भावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान के उत्तरी–पूर्वी व दक्षिणी–पश्चिमी एवं पश्चिमी योजना परिक्षेत्रों में कुल 293 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। विभिन्न सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत विद्यमान व प्रस्तावित क्षेत्रफल एवं क्षितिज वर्ष तक कुल क्षेत्र का विवरण तालिका–20 में दर्शाया गया हैः–

तालिका–20

सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण, रावतसर 2031

क्र. सं.	सार्व. एवं अर्द्ध–सार्व. सुविधाऐं	विद्यमान क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (एकड़ में)	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	शैक्षणिक	36	69	105
2	चिकित्सा	8	23	31
3	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	6	12	18
4	धार्मिक / ऐतिहासिक / सामा. / सांस्कृतिक	26	0	26
5	जनोपयोगी सुविधाएं	33	31	64
6	श्मशान व कब्रिस्तान	49	0	49
योग		**158**	**135**	**293**

स्त्रोतः सर्वेक्षण एवं आकलन

5.6 (1) शैक्षणिक

रावतसर नगर स्कूल शिक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केन्द्र है। आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यहाँ पर सरकार की नीतियों एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्ष 2031 तक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ 69 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस नीति के आधार पर नगर की अनुमानित जनसंख्या के लिए विभिन्न स्तर के विद्यालयों का प्रावधान रखा गया है।

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के छोटे एवं दोहरी पारी वाले विद्यालयों की सुविधाएं आवासीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध करवायी जावेगी। अतः इनकी स्थिति एवं विद्यालयों का स्थान मास्टर प्लान भू–उपयोग में नहीं दर्शाया गया है। जब आवासीय क्षेत्रों के लिए विस्तृत येाजना तैयार की जाएगी तब समस्त शैक्षणिक स्तर की सुविधाओं का चयन किया जायेगा। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र पर दर्शायी गयी है।

नगर के समस्त क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध हो अतः भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान के उत्तरी–पूर्वी योजना क्षेत्र

में प्रस्तावित बाईपास पर व्यवसायिक, शैक्षणिक व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये है जिनके भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न शैक्षणिक सुविधाएं यथा स्कूल, कॉलेज, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि विकसित किये जा सकते हैं। रावतसर की शैक्षणिक संस्थाओं को निम्न तालिका–21 में दर्शाया गया है:–

तालिका–21

शैक्षणिक संरचना, पदमपुर –2031

क्र. सं.	विद्यालय स्तर	विद्यालय जाने योग्य छात्रों की संख्या	विद्यालयों की संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय (1–5)	33000	60
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6–8)	5000	42
3	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (9–12)	2000	15
	योग	40000	117

स्त्रोतः सर्वेक्षण एवं आकलन

5.6 (2) चिकित्सा

रावतसर में राज्य राजमार्ग–7 पर वार्ड नं. 14 में एक राजकीय सामुदायिक केन्द्र है जिसमें 50 शैयाएं हैं। यहाँ पर 15 चिकित्सकों व 21 नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत पदो के विरूद्ध 9 चिकित्सक व 15 नर्सिंग स्टाफ कार्यरत हैं। यहाँ एम्बुलेंस, एक्स–रे मशीन, ईसीजी आदि की सुविधाएं हैं। यहाँ पर राजकीय चिकित्सालय के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में कुल 18 नर्सिंग होम/क्लिनिक भी संचालित हैं जिनमें वार्ड नं. 20 में 1 निजी क्षेत्र का चिकित्सालय डूडी अस्पताल, चौपड़ा दांतों का अस्पताल, वार्ड नं. 14 में वर्मा नर्सिंग होम, वार्ड नं. 18 में ललित अस्पताल संचालित हैं। यहां तहसील कार्यालय के समीप 1 राजकीय पशु चिकित्सालय व वार्ड नं. 8 में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित हैं। रावतसर के मास्टर प्लान में चिकित्सा सुविधाओं हेतु कुल 23 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। रावतसर में विद्यमान एवं प्रस्तावित चिकित्सा सुविधाओं का विवरण तालिका–22 में दर्शाया गया है।

तालिका–22

चिकित्सा सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण, रावतसर, 2031

क्र.स.	चिकित्सा सुविधा का स्तर	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
विद्यमान				
1.	अस्पताल डिस्पेंसरी पशु अस्पताल	3 2 2	विभिन्न स्थलों पर	0.3 4.30 3.4
योग				**8.0**
प्रस्तावित				
1.	अस्पताल	1	उत्तरी–पूर्वी परिक्षेत्र	10
2.	डिस्पेंसरी	6	समस्त परिक्षेत्रों में	10
3.	पशु चिकित्सालय	1	पश्चिमी परिक्षेत्र	3
योग				**23**
कुल योग (विद्यमान+प्रस्तावित) 8+23				**31**

स्त्रोत –सर्वेक्षण एवं आकलन

5.6 (3) अन्य सामुदायिक सुविधाएं

मास्टर प्लान मे विभिन्न अन्य सामुदायिक सुविधाएं जैसे डाकघर, पुलिस थाना, अग्निशमन केन्द्र, युवा केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय एवं रंगमंच आदि का आवश्यकतानुसार प्रावधान रखा गया है। ऐसी सुविधाओं के लिए कई स्थल मास्टर प्लान मे उचित स्थानों पर प्रस्तावित किये गये हैं। अन्य सामुदायिक सुविधाओं के प्रयोजनार्थ लगभग 12 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। ऐसी सुविधाएं जिससे एक बड़ा क्षेत्र लाभान्वित होता है, जैसे बारातघर, धर्मशाला एवं धार्मिक भवन आदि का प्रावधान भी अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए प्रस्तावित स्थलों पर किया जा सकता है। विद्यमान एवं प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण तालिका–23 में दर्शाया गया है।

तालिका–23

अन्य सामुदायिक सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण, रावतसर–2031

क्र.स.	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
विद्यमान				
1.	विश्राम गृह, धर्मशाला, पुलिस थाना आदि	अनेक	वार्ड संख्या 1, 8, 9, 18, 19, 25	4
योग				**4**
प्रस्तावित				
1.	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	6	उत्तरी–पूर्वी एवं दक्षिणी–पश्चिमी एवं पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	12
योग				**12**
कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित) 4+12				**16**

स्त्रोत –सर्वेक्षण एवं आकलन

5.6.4 जनोपयोगी सुविधाएं

जनोपयोगी सुविधाओं मे पेयजल वितरण, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, जल मल निकास इत्यादि सम्मिलित है। नगर मे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन सेवाओं पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि इन समस्याओं को हल करने की दिशा मे आवश्यक प्रयास किये जावें। रावतसर मे वर्तमान मे जनोपयोगी सुविधाएं यथा जलापूर्ति, मल–जल निकास विद्युत आपुर्ति आदि के लिये 31 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित है। नगर की भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर जनोपयोगी सुविधाओ का संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ मास्टर प्लान के प्रस्तावों का विवरण तालिका–24 मे दर्शाया गया है।

तालिका – 24

जनोपयोगी सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण, रावतसर 2031

क्र.स.	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
विद्यमान				
1.	जलापूर्ति विद्युत आपूर्ति टेलीफोन एक्सचेंज	1 1 1	वार्ड नं. 22 वार्ड नं. 24 वार्ड नं. 22	26.50 6.50
योग				**33**
प्रस्तावित 1.	दक्षिणी–पश्चिमी एवं पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	3	प्रस्तावित बाईपास एंव राज्य राजमार्ग संख्या–7 पर	6.79 24.21
योग				**31**
कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित) 33+31				**64**

स्त्रोत –सर्वेक्षण एवं आकलन

5.6.4 (अ) जलापूर्ति

रावतसर में जलापूर्ति का मुख्य स्त्रोत 1 एफ नहर वितरिका है जिससे प्रतिदिन लगभग 0.35 क्यूसैक पानी की आपूर्ति होती है। नगर में प्रतिदिन 500 किलोलीटर पानी वितरित किया जाता है, यह लगभग 60 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। 60 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति निर्धारित मानदण्डो की तुलना में बहुत कम है, इसे बढ़ा कर लगभग 100–125 लीटर प्रति व्यक्ति करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2031 तक यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 65,566 व्यक्ति हो जायेगी जिसके लिए नगर में प्रतिदिन 2,850 किलोलीटर पानी वितरित किया जाना आवश्यक होगा। अतः विभाग को उचित मात्रा में पानी की आपूर्ति करनी होगी। भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए मास्टर प्लान में जन उपयोगी सुविधाओं हेतु दक्षिणी–पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में भूमि प्रस्तावित आरक्षित की गयी है, जिसके तहत इस क्षेत्र मे फिल्टर प्लाण्ट लगाया जाना प्रस्तावित है।

5.6.4 (ब) मल–जल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन

रावतसर में मल–जल निस्तारण की समुचित व्यवस्था का अभाव है। यहाँ पर अभी तक वर्षा के पानी की निकासी का भी उचित प्रावधान नहीं किया गया है। इस कारण वर्षा का पानी सड़कों पर फैल जाता है। यहाँ पर अभी तक सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। अधिकांश मकानों में सैप्टिक टैंक की व्यवस्था है, तथा शेष जनता प्राचीन पद्धति का ही उपयोग करती है। इस कारण आस–पास का वातावरण दूषित होने के साथ–साथ भूमिगत जल के प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है। वर्तमान में सम्पूर्ण नगर का जल निकास खुले नाली व नाले के प्राकृतिक ढलान के माध्यम से नगर के उत्तरी दिशा से दक्षिण दिशा में स्थित तालाब में एकत्रित होता है।

स्वच्छ नगर के लिए सीवरेज प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य को गंदगी के कुप्रभावों से बचाया जा सके। इसके लिए वर्तमान में नगर के दक्षिण दिशा में स्थित तालाब को विकसित किया जाकर सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट की स्थापना कर नगर में जल का पुर्नशोधन कर उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है। नगर में कचरा प्रबंधन का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाता हैं। यहाँ पर ट्रेक्टर–ट्रोली की सहायता से दिन में एक बार कचरा ईकट्ठा किया जाता है तथा उसे नगर से 1 किमी की दूरी पर ले जाकर खुले स्थान पर डाल दिया जाता हैं जिससे वातावरण प्रदूषित होता है तथा भूमिगत जल के प्रदूषण का खतरा सदैव बना रहता हैं। नगर पालिका स्तर पर ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का चयन किये जाने की प्रक्रिया चल रही है।

नगर के परिधि नियंत्रण क्षेत्र में मृदा परीक्षण एवं नगरपालिका, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विचार विमर्श उपरान्त भूमिगत जल प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस कचरा प्रबंधन वैज्ञानिक पद्धति एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार ठोस कचरा संयत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार नगर के परिधि नियंत्रण क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से विचार–विमर्श उपरान्त, क्षेत्र की सामान्य ढलान को ध्यान में रखते हुए सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट से ट्रीटमेण्ट उपरान्त प्राप्त जल को नगर में जल पुर्नचक्रित पद्धति के तहत् वृक्षारोपण, बाग–बगीचे के रख–रखाव हेतु उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।

5.6.4 (स) विद्युत आपूर्ति

रावतसर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत आपूर्ति 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन द्वारा वितरित की जाती है। नगर में कुल

50,000 यूनिट प्रतिदिन बिजली सूरतगढ़ थर्मल से प्राप्त होती है और प्रतिदिन 50,000 यूनिट बिजली की खपत होती है, जो काफी कम है। नगर मे होने वाले विकास एवं विभिन्न सेक्टरों मे बढ़ते आर्थिक क्रियाकलापों हेतु और अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। अतः सुझाव है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उचित विद्युत आपूर्ति हेतु एक प्लान तैयार करे ताकि सभी क्षेत्रों मे पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सके तथा यह भी सुझाव है कि दोनो स्त्रोतों का अच्छा सामजस्य हो, ताकि विद्युत आपूर्ति सुचारू रहे। अतः इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2031 तक 65,566 अनुमानित जनसंख्या की आवश्यकता हेतु समुचित विद्युत व्यवस्था हेतु मास्टर प्लान में 33/11 के.वी. के नए ग्रिड सब–स्टेशन मास्टर प्लान के पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में विद्यमान ग्रिड सब स्टेशन के समीप कुल 5 एकड़ भूमि में प्रस्तावित किये गए हैं।

5.6.4 (द) श्मशान एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में नगर के दक्षिण दिशा में स्थित श्मशान की भूमि को यथावत रखा गया है। परन्तु जो श्मशान और कब्रिस्तान नगर के विकसित क्षेत्रों में स्थित हैं, उनमें चार दिवारी के साथ–साथ सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है ताकि वातावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। नये श्मशानों और कब्रिस्तानों को माँग के अनुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता के अनुसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

5.7 परिसंचरण

रावतसर की परिसंचरण व्यवस्था यहाँ के भावी भू–उपयेाग प्रस्तावों का अभिन्न अंग है। परिसंचरण हेतु विभिन्न प्रमुख मार्गो की चौड़ाई, पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात प्रणाली को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है, कि जनता के आवागमन के लिए उत्कृष्ठ यातायात व्यवस्था संचालित की जा सके। नगर के विभिन्न सड़कों के मार्गाधिकार वहां पर आवागमन होने वाले यातायात के अनुरूप निर्धारित किये गये हैं। रावतसर से राज्य राजमार्ग–7 गुजरता है। नगर का विस्तार समस्त दिशाओं में समान रूप से आंका गया है। अतः नगर के चारों तरफ बाईपास प्रस्तावित किया गया है, जिससे कि भारी यातायात दबाव में कमी के साथ सम्भावित दुर्घटनाओं में भी कमी आयेगी। परिसंचरण के अन्तर्गत विद्यमान क्षेत्रफल एवं क्षितिज वर्ष तक कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का विवरण तालिका–25 मे दर्शाया गया है।

तालिका – 25

परिसंचरण, रावतसर – 2031

क्र.स.	परिसंचरण	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
1. 2. 3.	रेलवे, राज्य राजमार्ग संख्या–3 का नगरीय क्षेत्र का भाग, मुख्य एवं आंतरिक सड़के बस स्टेण्ड, टैक्सी स्टेण्ड इत्यादि	1 (4.3)	उत्तरी–पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी एवं पश्चिमी योजना क्षेत्र, नगर के मध्य से, अन्य स्थानों पर	233.7 4.3
	योग			**238**
प्रस्तावित				
1. 2. 3.	यातायात नगर रोड नेटवर्क, राज्य राजमार्ग, बाहा मार्ग, प्रमुख सड़के, मुख्य आंतरिक व अन्य सड़के	1 1 4 अनेक	उत्तरी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र नगर के चारों तरफ बाईपास एवं अन्य समस्त स्थानों पर	23 0 131
	योग			**154**
कुल योग 238+154				**392**

स्त्रोत –सर्वेक्षण एवं आकलन

5.7(1)(अ) प्रस्तावित यातायात संरचना

राज्यमार्गएवं बाईपास/बाह्य मार्ग 45 मीटर, प्रमुख सड़कें 30 मीटर, उप प्रमुख सड़के 24 मीटर तथा मुख्य सड़कें 18 मीटर चौड़ाई की प्रस्तावित की गयी हैं। मुख्य सड़कें सभी महत्वपूर्ण स्थलों को जोडेंगी एवं अधिकतम वाहन इन्हीं सड़कों से होकर गुजरेंगे। अन्य सड़कें विभिन्न आवासीय क्षेत्रों को जोडेंगी तथा कार्यस्थलों को पहुँच प्रदान करेंगी। ये सभी सड़कें मुख्य यातायात प्रणाली का भाग है। रावतसर श्री गंगानगर–रावतसर–नोहर 45 मीटर राज्य राजमार्ग व नगर के चारो तरफ बाईपास रोड 45 मीटर मार्गाधिकार के प्रस्तावित किये गये है। नगर के पुराने बसे हुए क्षेत्र में स्थित सड़कों की चौड़ाई यथावत रखी गई है तथा अन्य सड़कों की चौड़ाई पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप प्रस्तावित किया गया है। सड़कों को मानदण्डों के अनुसार मार्गाधिकार को तालिका–26 में दर्शाया गया है :–

तालिका – 26
प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, रावतसर–2031

क्रमांक	सड़क का प्रकार	मार्गाधिकार (मीटर में)
1.	राज्य राजमार्ग / बाईपास / बाह्यमार्ग	45
2.	प्रमुख सड़कें	30
3.	उप प्रमुख सड़कें	24
4.	मुख्य सड़कें	18

रावतसर में प्रस्तावित मार्गाधिकार तालिका–27 में दर्शाया गया है।

तालिका 27
सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार, रावतसर–2031

क्रमांक	सड़क की श्रेणी	प्रस्तावित न्यूनतम सड़क मार्गाधिकार (मीटर में)
प्रस्तावित बाह्य मार्ग		
1	योजना क्षेत्र के उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी भाग में	45
प्रमुख सड़क		
2	नगर से सूरतगढ़ को जाने वाला मार्ग	30
3	नगर से नोरखी को जाने वाला मार्ग	24
4	नगर से 9 के डब्ल्यू डी को जाने वाला मार्ग	24
मुख्य सड़कें		
5	उत्तरी–पूर्वी परिक्षेत्र में प्रस्तावित स्टेडियम, महाविद्यालय एवं शैक्षणिक क्षेत्र के सामने स्थित मार्ग	30
6	पश्चिमी परिक्षेत्र में विद्यमान विद्युत केन्द्र के दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम में बाई पास तक प्रस्तावित मार्ग	24
7	योजना के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित गंदा तालाब के समीप से पूर्व–पश्चिम दिशा में बाईपास तक प्रस्तावित मार्ग	18
8	योजना के पश्चिमी क्षेत्र में बाईपास पर प्रस्तावित व्यवसायिक, डिस्पेंसरी व अन्य सामुदायिक सुविधाओं के मध्य स्थित मार्ग	18
9	योजना के दक्षिणी–पूर्वी क्षेत्र में बाईपास पर प्रस्तावित व्यवसायिक, डिस्पेंसरी व अन्य सामुदायिक सुविधाओं के मध्य स्थित मार्ग	18

स्त्रोत –सर्वेक्षण एवं आकलन

5.7(1)(ब) सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार

निर्धारित नीति के अनुसार वर्तमान में स्थित सड़कें जिन्हें मुख्य सड़कों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, का मार्गाधिकार जहाँ तक सम्भव हो, मापदण्डों के अनुसार होगा। उन स्थानों पर जहाँ सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं हो अथवा जहाँ अत्यधिक संख्या में पक्के मकानों को तोड़ना पड़ रहा हो, वहां सुविधानुसार तालमेल बिठाकर निम्न स्तर के मानदण्ड अपनाए जा सकेंगे। नगर के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु आगे बने चबूतरों और अनाधिकृत निर्माणों को हटाकर मौके के अनुसार सम्भावित चौड़ाई तक इन्हें चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है, ताकि यातायात सुगम हो सके।

5.7(1)(स) चौराहों का सुधार

विकसित क्षेत्र में यातायात को स्वतंत्र रूप से चलाने में जो बाधाएं आती हैं, उनमें अपर्याप्त चौड़ाई तथा चौराहों की गलत परिकल्पना के कारण भीड़–भाड़ होना प्रमुख है। अतः चौराहों के सुधार का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यातायात तथा आवागमन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए समस्त महत्वपूर्ण चौराहों, तिराहों की तकनीकी जाँच कर उन्हें सावधानी से पुनः डिजाईन करने का प्रस्ताव है।

5.7(1) (द) पार्किंग व्यवस्था

रावतसर में बढ़ते हुए वाहनों के कारण यातायात संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गयी है। आवागमन के अतिरिक्त वाहनों के पार्किंग की समस्या भी बहुत गंभीर होती जा रही है। पुराने व्यापारिक केन्द्रों में यह समस्या सबसे अधिक है। अतः प्रस्तावित किया गया है कि इन पुराने व्यापारिक केन्द्रों में जो खुले स्थान उपलब्ध हैं, उनको पार्किंग के रूप में विकसित किया जावे। नये व्यापारिक केन्द्रों की विस्तृत योजनाएं तैयार करते समय इनमें पार्किंग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान किया जावे। भारी वाहनों के लिए यातायात नगर एवं योजना क्षेत्रो में उचित पार्किंग स्थल का प्रावधान रखा जाएगा।

5.7(2) बस अड्डा तथा यातायात नगर

वर्तमान में रावतसर में बस अड्डा राज्य राजमार्ग–7 एवं राज्य राजमार्ग–36 के जंक्शन पर स्थित है। यह बस स्टेण्ड आई.डी.एस.एम.टी. योजना

के तहत् अभी हाल ही में निर्मित किया गया है। बस अड्डे पर सुलभ शौचालय व पार्किंग की उचित व्यवस्था होने के कारण वर्तमान में उपलब्ध स्थान को मद्देनजर रखते हुए यह माना गया है कि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विद्यमान बस स्टेण्ड उपयुक्त रहेगा। अतः किसी अन्य स्थान पर बस स्टेण्ड प्रस्तावित नहीं किया गया है।

वर्तमान में ट्रक मुख्य सड़कों के किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े रहते हैं, जो यातायात में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। नगर से हनुमानगढ़ की ओर जाने वाले भारी वाहनों का नगर के अन्दर कम से कम प्रवेश हो, इसलिए उत्तरी–पूर्वी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित बाईपास पर एक ट्रक टर्मिनस/ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित किया गया है। एक अन्य ट्रक टर्मिनस प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के समीप सूरतगढ़ रोड़ पर प्रस्तावित किया गया है।

5.7(3) रेल एवं हवाई सेवा

रावतसर की स्थापना को 400 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी यहाँ रेलवे स्टेशन की सुविधा का अभाव है। यहाँ निकटतम रेलवे स्टेशन की सुविधा 38 कि.मी. की दूरी पर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ में उपलब्ध है। रावतसर एक छोटा नगर होने के फलस्वरूप यहाँ हवाई पट्टी का कोई प्रस्ताव नहीं है, यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा 375 कि.मी. की दूरी पर जयपुर हवाई अड्डा है।

5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमा के बाहर होने वाले अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के मध्य स्थित क्षेत्र परिधि नियंत्रण क्षेत्र के रूप में रखा जायेगा। इस क्षेत्र का स्वरूप मुख्य रूप से ग्रामीण ही होगा। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में ही सुनियोजित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियोजित रूप से हो, इसके प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। ग्रामीण बस्तियों का विकास संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज

नियम, 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि सेवा केन्द्र, हाई–वे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौध शालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाऊस, मोटल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेण्ट, कृषि आधारित लघु उद्योग जैसे क्रेशर, ईंट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मील, स्टोन पॉलिशिंग उद्योग, बजरी उत्खनन गतिविधियां आदि अनुज्ञेय होगी। परिधि नियंत्रण क्षेत्र में वृहद् परियोजनाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर की अनुमति के पश्चात् नगर के चहुंमुंखी विकास एवं उपलब्ध होने वाले रोजगार के मद्देनजर स्वीकृत/स्थापित की जाती है, के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अवांछित नगरी विकास की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा कृषि सम्बन्धित कार्यों की ही प्रधानता होगी।

5.8(1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र

परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्दर स्थित गांवो का विकास एवं विस्तार योजना बनाकर नियमित तरीके से किया जायेगा। इस सबंध में यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण और गंभीर चिन्तन का है। यदि समुचित प्रतिबन्धो का प्रावधान नही किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि जनता ग्रामीण अंचलो मे अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति लालायित होती है, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों मे विकृतियां उत्पन्न होगी वरन् यह प्रवृति नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर के इलाको मे असंगत फैलाव के कारण मास्टर प्लान अर्थहीन बनकर रह जायेगा। अतः आबादी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए इन गांवो का नियोजित ढंग से विकास हेतु आवश्यकतानुसार योजनाएं बनायी जावेगी।

6

योजना का क्रियान्वयन

रावतसर नगर की योजना तैयार करने मात्र से ही योजना प्रक्रिया सम्पूर्ण नहीं हो जाती है। यह तो वास्तव में नगर के रहने और कार्य करने के योग्य बनाने के प्रयास का प्रारम्भिक चरण मात्र है। इस योजना को वास्तविकता में परिवर्तित करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि इस योजना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु पूर्ण सामर्थ्य एवं क्षमता के साथ प्रयास किये जाएं। अधिकांश योजनाओं की असफलता का कारण यह नहीं था कि वे अव्यावहारिक थी बल्कि मुख्य कारण यह रहा कि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण विश्वास के साथ इन्हें कार्यान्वित करने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये। योजना का क्रियान्वयन इस प्रक्रिया का भाग है, जो योजना को मूर्तरूप प्रदान करता है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक अभिकरणों और निजी संस्थाओं के उन सभी कार्यों और क्रियाओं को अपने अन्दर समाहित कर लेती है, जिसकी आवश्यकता अनुमोदित योजना में उल्लेखित सम्भावित परिणामों को निश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिए होती है।

इस दृष्टि से नियामक और विकास दोनों प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती है। समुचित कानूनी प्रावधानों, प्रशासनिक संगठन, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय संसाधनों के साथ–साथ नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग पर ही योजना का सफल क्रियान्वयन निर्भर करता है। अतः हम सबका यह दायित्व है कि आवास और कार्य स्थल के रूप में रावतसर को अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में परस्पर सहयोग की भावना से गम्भीर प्रयास करें।

6.1 वर्तमान आधारः–

वर्तमान स्थानीय निकाय, रावतसर का गठन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। नया नगर पालिका अधिनियम स्थानीय निकाय को समुचित अधिकार प्रदान करता है, जिससे नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से सम्पादित किया जा सके। अतः मास्टर प्लान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु उक्त अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों का समुचित उपयोग किया जाकर नगर की सुनियोजित विकास की परिकल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है।

6.2 प्रस्तावित आधार

मास्टर प्लान प्रस्तावों को क्रियान्वित करने का दायित्व नगरपालिका रावतसर का रहेगा। नगरपालिका मास्टर प्लान के प्रस्तावों को तथा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से अपने क्षेत्र में लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी।

मास्टर प्लान के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय निकाय को भेजी जावेगी। इस प्रकार स्थानीय निकाय उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगी कि रावतसर के नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जावेंगें। इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जावेगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, जिला कलक्टर कार्यालय एवं नगरपालिका, रावतसर में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका, रावतसर से निर्धारित राशि देकर क्रय कर सकेगी।

नगरपालिका रावतसर मास्टर प्लान के प्रस्तावों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली योजनाएं तैयार करेंगी। जलापूर्ति व मल–जल निकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा नगर यातायात प्रबन्ध व सड़क विकास योजना, नगर नियोजन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के परामर्श से तैयार करेंगे। नगरपालिका रावतसर मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से परियोजनाएं तैयार कर क्रियान्वयन की कार्यवाही करेगी। किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों ही स्तर पर समन्वय का विशेष महत्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त तकनीकी अधिकारी, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है ताकि यह नगर के सुनियोजित एवं एकीकृत विकास करने वाली संस्था के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर सके।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि स्थानीय निकाय को सभी प्रकार से सुदृढ़ किया जाये और समय–समय पर आवश्यकतानुसार समुचित अधिकार दिये जायें। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास कार्यों पर इसका नियंत्रण हो,

इस दृष्टि से समय–समय पर आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी करते रहना होगा।

6.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग

नगर का विकास अंततः लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहाँ की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि नगर की जनता मास्टर प्लान के प्रस्तावों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

6.4 भू–उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति

रावतसर के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं की दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गयी स्वीकृतियां/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गयी भू–उपयोग योजना 2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गयी किसी स्वीकृति यथा 90बी के आदेश, आवंटन, भूमि रूपांतरण व नियमण, भू–उपयोग, अनुमोदित योजना, भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजन सहवन से नहीं हो पाया हो तो उन्हें समायोजित माना जायेगा।

मास्टर प्लान क्षेत्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन करने का यथासंभव प्रयास किया गया है, यथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मान्य होगी। इन नदी नाले, जलाशय, भराव क्षेत्र इत्यादि में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या नहीं। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।

प्रस्तावित सार्वजनिक सुविधाओं यथा शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत् भूमि अवाप्त की जाये, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.5 उपसंहार :–

मास्टर प्लान भावी विकास की परिकल्पना मात्र है, जिसकी सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित है। रावतसर का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नयी सुविधाएं उपलब्ध कराने, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करने और रावतसर को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर की इस योजना को तैयार किया गया है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 के उद्धरण

अध्याय – 2

मास्टर प्लान

3. राज्य सरकार को मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति

(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

(2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4. मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु

(क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जाएंगे जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जाएगी जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) उस ढाँचे के विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जायें, जो आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5. अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गए नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के संबंध में आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।

6. मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् याथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी व इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7. मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहाँ मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तन में आ जायेगा।

परिशिष्ट –2

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम – 1962 के उद्धरण

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

[Notification No. F.4 (32) LSG/A/59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette Part IV-C extraordinary dated 08.06.1962 Page 118 J]

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely: -

RULES

1. Short title and commencemement:

(1) These rules may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules – 1962".

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions – In these rules, unless the subject or context otherwise requires –

(i) "Act" mean the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959).

(ii) "Trust" means a trust as constituted under the Act.

(iii) "Section" means a Section of the Act

(iv) Word and expressions used but not defined shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of draft Maser Plan and the contents thereof under Section 5(i).

(i) The draft master plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form "A" in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draf Master Plan within a period of 30 days from the date of publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended further

for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections / suggestions with respect to the draft of the Master Plan.

(ii) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating in the area included in the Master Plan.

(iii) The Draft Master Plan shall ordinarily consists of the following maps, Plan and documents namely: -

(a) Town Map showing General Layout of the roads and Streets in the Town.

(b) Base Map showing the Generalised existing land use pattern, such as residential, commercial, industrial.

(c) Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern. In the urban area such as residential, commercial, industrial public and semi-public uses etc.

(d) Written analysis and written statement to support the proposals.

(e) Any other maps, plans or matter which the Officer or the Authority deem fit or as the State Government may direct the Officer or the Authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 (1)

(1) After considering the objections / suggestions and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under section 33 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 (2) of the Act finalise the Master Plan and submit the same if constituted to the State Government for approval.

(2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day.

परिशिष्ट –3

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,

क्रमांक प.10(117)नविवि/3/2010 जयपुर दिनांक 16.7.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 वर्ष 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित धारा 2 की उपधारा (1) के बिन्दु संख्या (10) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर को के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती हैः–

राजस्व ग्राम का नाम		
क्र.सं.	**ENGLISH**	हिन्दी
1	5 KWD	5 केडब्ल्यूडी
2	3 KWD	3 केडब्ल्यूडी
3	7 KWD	7 केडब्ल्यूडी
4	4 KWD	4 केडब्ल्यूडी
5	6 KWD	6 केडब्ल्यूडी
6	8 KWD	8 केडब्ल्यूडी
7	9 KWD	9 केडब्ल्यूडी
8	6 AM	6 एएम
9	9 AM	9 एएम
10	8 AM	8 एएम
11	10 AM	10 एएम
12	11 AM	11 एएम
13	3 RWSM	3 आरडब्ल्यूएसएम
14	15 DWD	15 डीडब्ल्यूडी
15	16 DWD	16 डीडब्ल्यूडी
16	17 DWD	17 डीडब्ल्यूडी
17	19 DWD	19 डीडब्ल्यूडी
18	5 RWM	5 आरडब्ल्यूएम
19	6 RWM	6 आरडब्ल्यूएम
20	21 22 DWD	21–22 डीडब्ल्यूडी
21	23 DWD	23 डीडब्ल्यूडी
22	26 DWD	26 डीडब्ल्यूडी
23	25 DWD	25 डीडब्ल्यूडी
24	24 DWD	24 डीडब्ल्यूडी
25	18 DWD	18 डीडब्ल्यूडी

26	2 APM	2 एपीएम
27	1 APM	1 एपीएम

राज्यपाल की आज्ञा से

(ह.)

उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राज पत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज. जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
6. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़
7. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रावतसर
8. रक्षित पत्रावली

उप नगर नियोजक
नगरीय विकास विभाग

परिशिष्ट –3 (ii)

नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.10(111)नविवि/3/2010 जयपुर , दिनांकः–08.05.2012

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य नियम, 1962 के नियम 4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.7.2010 द्वारा यथा अधिसूचित '' रावतसर (जिला हनुमानगढ़) के नगरीय क्षेत्र'' के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, रावतसर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0
(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी डी भेजकर लेख है कि अधिसूचनना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2 प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
5 वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर ।
6 जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
7 अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रावतसर (जिला हनुमानगढ़)
8 रक्षित पत्रावली ।

ह0
(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक